so much funds are available in the Fund. That factor can be taken into consideration for reducing the levy price, when it is considered.

MR. CHAIRMAN: The Miniser has said what he has got to say. It may be satisfactory; it may not be satisfatory.

The question is:

"That the Bill to provide for the establishment, in the interest of the general public, of a fund to ensure that the price of levy sugar may be uniform throughout India and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Now we shall take up clauses.

The question is:

"That clauses 2 to 5 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 5 were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: Regarding clause 6 in the name of Dr. Saradish Roy, there is an amendment. This amendment has to get the President's sanction. The President's sanction and the recommendations have not been received. Therefore, this amendment cannot be moved. The result is that there is no amendment.

The question is:

"That clause 6 stand part of the Bill."

The moton was adopted.

Clause 6 was aded to the Bill.

Clauses 7 to 16 were added to the Bill.

The question is:

"That clause 1 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1 was added to the Bill.

Enacting Formula

MR. CHAIRMAN: There is an amendment in the name of the Minister.

Amendment made:

Page 1, line 1,—

for "Twenty-sixth" *substitute*—

"Twenty-seventh" (1)

(*Shri Shah Nawaz Khan*)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Enanctmg Formula, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

SHRI SHAHNAWAZ KHAN: I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

15.31 hrs.

DISCUSSION RE. SUGARCANE PRICE

MR. CHAIRMAN: We now pass on to the next item, Discussion under Rule 193. I now call Shri N. N. Pandey to raise a discussion on the sugarcane price.

श्री [illegible] (गोरखपुर): सभापति महोदय, मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस सदन को यह मौका दिया कि वह चीनी की नीति और गन्ने के दाम के बारे में विचार करे। चीनी हमारे देश की सबसे बड़ी एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्री है, और हमारे देश में गन्ने की उपज की वजह से चीनी मिलें तथा सरकार आज दुनिया में चीनी के व्यापार में अपना एक स्थान रखती हैं। आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए मौका दिया, इसलिए मैं आपका आभारी हूं।

गन्ने के दाम का सवाल सारे देश में 1931 से एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इस देश में गन्ना किसान गन्ने की उपज करते थे और उसको कोल्हुओं में पेर कर गुड़ तैयार करते थे। उससे वे लोग अपना जीवन-यापन करते थे और देश के करोड़ों लोगों को गुड़ खिलाते थे। 1932 में पहली बार सरकार ने गन्ने के दाम को नियंत्रित करने और चीनी की मिलों को प्रोटेक्शन देने के लिए कानून बनाया, और 1933 में पहली बार गन्ने का दाम तय किया गया। उसके बाद 1933 व 1934 में प्रान्तीय सरकारों ने गन्ने के दाम को तय करने के लिए गन्ना किसानों के नुमाइन्दों को बुलाया और मिनिमम केन प्राइस तय की और केन एक्ट पास किया। 1937 और 1938 में केन्द्रीय सरकार ने यू० पी० और बिहार की सरकारों को यह शक्ति दी कि वे कानून बना कर गन्ने के मिनिमम दाम को तय करें। 1942 से 1948 तक केन्द्रीय सरकार ने गन्ने पर खुद नियंत्रण रखा और फिर 1950 में गन्ने की स्टेचुटरी मिनिमम प्राइस तय करने के लिए टैरिफ बोर्ड से कहा कि गन्ने के पैदा होने के दामों को यह तय किया जाय कि उचित दाम मिल सकें। यह दाम [illegible] नहीं होना चाहिये।

इसके बाद बहुत सी कमेटियां बनीं। उन कमेटियों का विवरण देकर मैं इस सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं। उन कमेटियों का काम चीनी मिलों को प्रोटेक्शन देना और गन्ने के दाम को तय करना था। इस बीच में दो बातें बड़ी साफ नजर आईं। [illegible] फारमूला बना। उसके बाद रिकवरी की बेसिस पर केन्द्रीय सरकार ने तय किया कि गन्ने का दाम तय किया जाय। यह गन्ने का दाम तय करने का जो सिलसिला है इसमें हमने आज तक कोई रिपोर्ट नहीं पढ़ी जिसमें यह लिखा हो कि गन्ने के डेवलपमेंट के लिए गन्ने का दाम तय करने के लिए क्या नीति अख्तयार की गई। केन्द्रीय सरकार के द्वारा या प्रान्तीय सरकार के द्वारा, यह हमें किसी रिपोर्ट में पढ़ने को नहीं मिला। भार्गव कमीशन ने भी जो रिपोर्ट दी जो सब से रिसेंट रिपोर्ट है उसमें भी गन्ने के दाम के बारे में क्या नीति निश्चित की जाय इसके बारे में उन्होंने कोई तोवज्जह नहीं दी। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश के करोड़ों किसान जो गन्ना बोते हैं, जिस पर वह पैसा लगाते हैं, बीज डालते हैं, मजदूरी करते हैं, उसके बाद खाद देते हैं, पानी देते हैं, उस गन्ने का न्यूनतम मूल्य भी उन्हें नहीं मिलता तो उन्हें बड़ी निराशा होती है। आज इस सदन को और सरकार को यह सोचना पड़ेगा कि आखिर किसान जो गन्ना पैदा करता है क्या उसको उचित मूल्य नहीं मिलेगा? क्या जो कपास पैदा करता है उसको उचित मूल्य नहीं मिलेगा? किसान जो पैदा करता है उसका उचित मूल्य उसको नहीं मिलेगा? सरकार के कहने के मुताबिक जो सरकार की नीतियों का परिपालन करने के लिए जो वह ज्यादा पैदावार करता है उसको

उसे अगर उसको मुनासिब दाम नहीं मिले तो उत्पादन का क्या हाल होगा ?

मैं अपने एक क्षेत्र में जहां दो चीनी मिलें हैं एक सभा में गया था । वहां के हमारे किसान जो कि उर्दू जानने वाले हैं उन्होंने मेरा स्वागत किया, बड़ी भारी सभा हुई और उन्होंने इकबाल का एक शेर पढ़ा । मैं उस शेर को इसलिए पढ़ना चाहता हूं कि आप यह समझें कि आज किसान के दिल में, उत्तर प्रदेश और बिहार के तथा सारे हिन्दुस्तान के गन्ना पैदा करने वाले किसान के दिल में क्या है ? उनकी भावना के साथ किस तरह से आज हम और आप शिरकत करते हैं । यह शेर बड़ा मौजूं है । लेकिन यह सही बात है कि आज उत्पादन का युग है, अनुशासन का युग है, आपातकालीन स्थिति है, हम आज किसान को कुछ कह नहीं सकते । वह शेर इस प्रकार है :

जिस खेत के दहकां को मयस्सर न हो रोटी ।
उस खेत के हर खोशाओ गन्दुम को जला दो ।।

मैं कहना चाहता हूं कि आज स्थिति क्या है ? यह ऐग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन की रिपोर्ट हमारे सामने है । 75–76 सीजन में गन्ने का दाम तय करने के सिलसिले में कि मिनिमम केन प्राइस क्या हो, स्टेच्यूटरी प्राइस क्या हो, इस के लिए कहा गया है कि पिछले साल जो गन्ने का दाम हो उससे एक रुपया ज्यादा स्टेच्यूटरी प्राइस होनी चाहिए । उत्तर प्रदेश में साढ़े चौदरह रुपया गन्ने के किसान को दिया जायगा, पूरब में, साढ़े तेरह रुपया दिया जायगा । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब आपने यह सिद्धान्त कबूल कर लिया कि हम रिकवरी के बेसिस पर गन्ने का दाम तय करेंगे तो मेरी समझ में नहीं आता कि यह किस तरह तय किया जा रहा है । आज माननीय मंत्री जी मौजूद हैं, मैं बताना चाहता हूं, पूरब की रिकवरी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हो रही है । साढ़े नौ और पौने दस की हो रही है । उनका एवरेज पौने पस पड़ता है । पश्चिम वालों की और मध्य वालों की पूरब से कम हो गई । वह इसलिए कि किसानों ने वहां पर हाई इल्डिंग वेराइटी का सीड लगाया, व गन्ने की फसल को ज्यादा पैदावार दी, उनका शुक्रोज बढ़ाया, मौसम का और तमाम चीजों का ख्याल रखा । लेकिन उन किसानों का दाम सवा बारह रुपये तय हुआ है और पश्चिम में सवा तेरह रुपये दाम तय हुआ है । पंजाब की सरकार ने 14 रुपये 35 पैसे अपने यहां गन्ने का दाम तय किया है । वहां साढ़े आठ और पौने नौ की रिकवरी है । उस पर 14 रुपये 35 पैसे दाम तय किया गया है और हरयाने में क्या रिकवरी है ? चन्द मिलें चलती हैं, उनकी रिकवरी आज क्या है ? पौने 9 की रिकवरी है । दक्षिणी हिन्दुस्तान की सभी मिलों में, जो हमारे कोआपरेटिव सेक्टर के लोग हैं, जो मिल भी चलाते हैं, उत्पादन भी करते हैं उनकी रिकवरी 10 के करीब पड़ती है । और आज वहां पर गन्ने का दाम क्या है ? गुजरात में किसानों को गन्ने का दाम क्या मिलता है ? मिनिमम केन प्राइस 14 रुपए क्वींटल से कम नहीं मिलती है किसी फैक्टरी में । आज 18 रुपए व 22 रुपए तक दाम मिलता है । फिर मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन सी एकोनामिक्स है जिसको तहत आज सवा 12 रुपए और सवा 13 रुपए उत्तर प्रदेश में और बिहार में गन्ने का दाम तय किया गया है ? यह एकोनामिक्स मेरी समझ में नहीं आई ।

मेरे पास कुछ आंकड़े मौजूद हैं कि बिजली का दाम कितना बढ़ा, खाद का दाम कितना बढ़ा और पानी का दाम कितना बढ़ा । इसके कुछ आंकड़े मेरे पास हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । 1–1–1973 को डीजल आयल का दाम 708.47 के एल था जोकि 1–12–1975 को बढ़कर 1094.89 के एल हो गया । यह उस डीजल के दाम बढ़ गए जिसके द्वारा हम अपना पंपिंग सेट चलाते हैं और गन्ने की सिंचाई करते हैं । हमारे पास इरीगेशन के भी दाम हैं, कैनाल से जो इरीगेशन होती है । मैं आपको बताना चाहता हूं

[श्री नरसिंह नारायण पांडे]

पंजाब में इरीगेशन के क्या रेट हैं । पंजाब में फी हेक्टेयर दाम जो पड़ता है वह 66 70 से लेकर 82 30 तक होता है । हमारे उत्तर प्रदेश में 1971 में जो 39 60 था वह आज बढ़कर 148 रुपए हो गया है । इसी तरह से हमारे पास और भी बहुत सी फीगर्स हैं, आंध्र की और दूसरी जगहों की है लेकिन मैं उनको बताकर सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता । आंध्र में जो इरीगेशन कैनाल से होती है उसका रेट 22 50 रुपए प्रति एकड़ पड़ता है । बिहार में 18 से 28 रुपए पड़ता है । हरयाणा में 13 50 से 16 50 पड़ता है । महाराष्ट्र में 120 से 180 पड़ता है । और उत्तर प्रदेश में 10 से 40 रुपए पड़ता है । पंजाब में 13 50 से 16 65 पड़ता है । यह आपके आंकड़े हैं जोकि पानी के सम्बन्ध में हैं ।

इसके बाद आप खाद के आंकड़े लें । यूरिया जिसमें 46 परसेंट नाइट्रोजन है वह 1971 में 923 रुपए पर टन थी जोकि 1-6-1974 को दो हजार रुपए पर टन हो गई । इसी प्रकार से कैलिसयम अमोनियम नाइट्रेट जिसमें 26 परसेंट नाइट्रोजन है उसका दाम 575 से बढ़कर 1145 रुपए हो गया । 25 परसेंट नाइट्रोजन जिसम है उसका 1971 में जो दाम 545 रुपए था वह बढ़कर 1095 हो गया । इस प्रकार से फर्टिलाइजर के दाम बढ़े हैं ।

श्रीमान, मेरे पास जो बातें ISMA के नुमाइन्दों ने डेवलपमेंट कौंसिल की मीटिंग में कहा था उद्धृत कर रहा हूं । इसकी प्रोसीडिंग्ज मेरे पास हैं । जो शुगर मगनेटस हैं, जो मिल मालिक है उन्होंने पिछले साल कहा था :

"The National Federation of Co-operative Sugar Factories called upon the industry and the Government to spare no efforts in achieving the target of forty-five lakh tonnes of sugar production in the year 1974-75"

इसके लिए, इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन, ने कहा

"The Council discussed at length the sugar and sugarcane policy for the season 1974 75. The Indian Sugar Mills Association urged the Government to fix a remunerative price for sugarcane and recommended a price of about Rs 12 50 per quintal of cane"

यह शुगर मिल्स एसोसिएशन की जो नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल है उसने पार साल जो कहा वह मैं आपने सामने रखना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले साल गन्ने का दाम कम से कम 12 50 होना चाहिए था और इस साल तो जैसा मैंने अर्ज किया सारी चीजों के दाम बढ़ गए हैं ।

एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन कहता है—पिछले साल के मुकाबले एक रुपया गन्ने के दाम में बढ़ोत्तरी होती है । अगर इस स्टेटिस्टिक्स को सही माने तो आज 14 रुपये 50 पैसे का भाव हम को मिलना चाहिये । लेकिन पिछले साल हम को यह भी कहा गया था कि अगर फ्री मार्केट में शुगर प्राइस 400 रुपये क्विंटल होगी तो 14 रुपये 50 पैसे मिनिमम शुगर केन प्राइस देंगे । आज बाजार में फ्री शुगर का भाव क्या है ? 450 रुपये क्विंटल का भाव रिटेल में है और थोक में 400 रुपये से 425 रुपये है । तब फिर मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सा जस्टिफिकेशन है जिसके आधार पर हम को यह भाव दिया गया । आज पानी का दाम बढ़ गया, बिजली का दाम बढ़ गया, फर्टिलाइजर का दाम बढ़ गया—यह ठीक है कि इधर उस का दाम कुछ बढ़ा है, लेकिन पिछले साल की फसल पर यह लागू नहीं होता है—सब चीजों के दाम

बढ़ गये। इण्डियन शुगर मिल एसोसियेशन ने अपनी मीटिंग मे कहा था कि वह 14 रुपये पचास पैसे भाव तब होगा जब हम को फ्री मार्केट मे शुगर का दाम 400 रुपया मिले। आज वे चार सौ रुपये से साढ़े चार सौ रुपये का भाव पा रहे हैं, इसके अलावा उन को बहुत सारी रिलीफ दी जा रही है—मैं उन तमाम रिलीफों को अलग से गिनाऊंगा जो पिछले पांच छः सालो से इन शुगर मैगनट्स को दी गई है, अगर उन को टोटल करे तो 200 करोड रुपये से कम नही होगी। तब फिर मैं पूछना चाहता हू—वह कौन सी इकानामिक्स है, कौन सी स्टेटिस्टिक्स है, कौन सी पोलिटिक्स है, जिस के बल पर आज गन्ने का दाम सवा बारह रुपये से सवा तेरह रुपये घोषित किया गया है।

श्रीमन्, पिछले 7 दिसम्बर को माननीय खाद्य मन्त्री जी और मिलमालिकों तथा हम सब लोगो की मीटिंग लखनऊ मे हुई थी उस मे मिल मालिको ने इस बात को मान लिया था कि गन्ने का भाव साढे चौदह रुपये सही है, लेकिन उन्होने यह कहा था कि क्रेडिट स्कीम पालिसी को ठीक किया जाय, लेवी शुगर प्राइस को बढाया जाय। लेवी शुगर प्राइस पर तो अभी आऊंगा—लेकिन क्या आप जानते है कि कास्ट कैसे कैलकुलेट होती है, लेवी शुगर प्राइस का कास्ट फिक्सेशन कैसे होता है। मेरे पास रिपोर्ट है—आप देखें—गवर्नमेंट ने पास किया था कि जब इण्डस्ट्री मे मुनाफा नही है तो 8.13 परसेंट का जो बोनस है वह इन्कलूड नही किया जायगा या दिया नही जायेगा, लेकिन जब हमारे यहा लेवी शुगर की कास्ट निकाली गई तो उस मे इस 8.13 परसेंट के बोनस को भी जोड दिया गया है। उन एक्सपर्ट्स ने टैरिफ कमीशन के मुताबिक दाम तय किया मेरे पास टैरिफ कमीशन की रिपोर्ट है— मैं उस मे से उद्धृत करना चाहता हू—एक्चुअल कास्ट आफ प्रोडक्शन निकालने के लिये उस मे दस-बारह बातो की तरफ तवज्जह दिलाई गई है—ये दस-बारह बातें कास्ट तय करने के लिये जरूरी हैं जिस में आपको 8.13 परसेन्ट की बोनस की रकम को भी इन्क्लूड किया गया है। और वह लैवी का 8.13 बोनस को शामिल कर जो भाव आता है मैं जानना चाहता हू मन्त्री जी के पास इस का कौन सा जवाब है। टैरिफ कमीशन ने किस आधार पर इस चीज को कैलकुलेट किया है। यह तो हुआ कास्ट के बारे में। कृपया Price Policy on Sugarcane for 1975–76 का पेज 122 पर देखे। कास्ट किस तरह से की गई है। सिर्फ उसी के कास्ट का सवाल नही है, और जो मिसलेनियस बाते रखी गई हैं डेप्रीशियेशन से या रिजर्व मे, केन ट्रांसपोर्ट चार्जेज, सीलिंग, इन्सैक्शन आदि इस पर भी टैरिफ कमीशन ने अपनी राय दी है। मैंने कैलकुलेट किया है कि 23 से लेकर 25 परसेंट जो कास्ट रखी गई है लैवी की शुगर कास्ट के ऊपर यह अधिक कास्ट है और यह किसी भी तरीके से लैवी शुगर प्राइस को तय करने के समय नही लेना चाहिये। इसलिये मैं कहता हू कि आज जो यह कौस्ट रखी गई है इस का मतलब यह होता है कि लैवी शुगर प्राइस भी जो आज तय की गई है यह एक यूनीफार्म प्राइस नही है। अभी मन्त्री जी "इक्वैलाइजेशन फंड" बिल लाये थे जिस के मुताबिक 40 करोड रु० आयेगा। हुआ यह कि सुप्रीम कार्ट मे मिल मालिकान गये और वहा पर उन्हीं ने कहा कि लैवी शुगर प्राइस जो तय की गई है यह एप्रोप्रिएट नही है। यह ज्यादा है और हमारी रिकवरी ठीक नही है, हमारी मैनुफैक्चरिंग कौस्ट ज्यादा है। कुल ही मिल मालिक कोर्ट मे गये। सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि लैवी शुगर प्राइस ठीक नही तय की गई है। और यह ज्यादा तय की गई है। इस के बेसिस पर 40 करोड रु० उन मिल मालिको से जो कोर्ट मे गये उन की चीनी के ऊपर आपने निकाल लिया। लेकिन और जो 238 चीनी मिलो के मालिक है उन का पैसा कहा गया ? वह यूटिलाइजेशन

श्री [illegible] : फंड के चालेगी या कंज्यूमर या केन प्रोग्रेस के इंटरेस्ट में काम आयेगा, यह बात मंत्री जी क्लियर नहीं की। क्योंकि यह तो उन्हीं पर लागू है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में गये। जो नहीं गये उन के ऊपर क्यों नहीं लागू होता है ? और अगर लागू होता है तो उन पर भी लागू होना चाहिए, "इक्वेलाइजेशन फंड" बनाना चाहिये। उस पैसे को चीनी उत्पादन बढ़ाने पर खर्च करना चाहिये क्योंकि पांचवी योजना में आप ने 65 लाख टन से 70 लाख टन का टार्गेट रखा है। इस स्थिति को मंत्री जी को समझना चाहिये। महाराष्ट्र जो है उसी को देखें तो पायेंगे कि 23 से 35 परसेंट तक लेवी शुगर का दाम अधिक बढ़ाया गया। और फिर आज मिल मालिकान यह कहते हैं कि 35 परसेंट उन को फ्री मार्केट में बेचने को दे दी जाये आज खुले बाजार में चीनी 4 50 रु० से लेकर 8 रु० प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है, और मिजोरम में 7 रु० से 9 रु० तक चीनी बिक रही है।

अब आप खोइया का भाव देखिये कि वह 11 रु० के हिसाब से बिक रहा है। मेरे पास "नव भारत टाइम्स" की कल की खबर है जिस में लिखा है कि यहां खोई का मूल्य गन्ने के मूल्य से लगभग ड्योढा है। अशरो पर गन्ने का मूल्य 8 रु० मिल रहा है, जब कि खोई की कीमत 11 और 12 रु० है। इस वर्ष सिऊहारा शुगर मिल द्वारा कम गन्ना उठाने के कारण कृषको को उनके गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। यह 4 फरवरी को अखबार की कटिंग है। 11 रु० मे खोई बिक रही है। सीरा जो 1 रु० था आज 6 रु० मे बिक रहा है और खाडसारी का सीरा और ज्यादा मे बिक रहा है। बहुत सी मिलें खोई नीलाम कर रही हैं। अखबारो मे इसके इश्तहार दिए जा रहे हैं। यह कहा जाता है कि चालेसिस के दाम बढ गए हैं। पानी के बढ़ गए हैं, बिजली के बढ़ गए हैं, सब चीजो के बढ़ गए हैं। मगर किसान कहता है कि उसी चीज के दाम की तो बात कहता है कि नहीं, इसका लेवी शुगर प्राइस पर असर पड़ेगा। क्या इस आपने सारी स्थिति पर विचार किया है ?

कपास अधिक पैदा हुई तो एक दम मार्किट डाउन आ गई। चावल अधिक हुआ, सपोर्ट प्राइस के नीचे गया तो आप कुछ नहीं करते, गेहूं अधिक पैदा हुआ और सपोर्ट प्राइस के नीचे आ गया, बाजार में इफरात हो गई तो आपने कुछ नहीं किया। कैसी आपकी मूल्य नीति है और किस आधार पर यह तय होती है समझ मे नहीं आता है।

आप देश मे चीनी का उत्पादन बढ़ाना चाहते है। लेकिन आप देखें कि कैसी लूट मची हुई है। खडसारी मिलें हमारे यहां लगी हुई हैं। आप जानते हैं कि गन्ना ऐसी चीज है जो रोक कर रखी नहीं जा सकती है। सात आठ रुपये गन्ने का दाम वे देती हैं। इस आपातकाल मे कोई किसान मजदूर हिम्मत नहीं कर सकता है कुछ करने की, एक ही चीज उसके सामने आज रखी गई है कि उत्पादन बढाओ। लेकिन जब खडसारी मिलें सात आठ रुपये मे गन्ना ले रही हैं तो क्या वहां भी गन्ने के दाम नहीं बढने चाहिये। मंत्री महोदय भी उसी एरिया मे आते हैं। क्या खडसारी यूनिटो के ऊपर भी आपने कोई पाबन्दी लगाई है, यह मैं आप से जानना चाहता हू। मैंने पिछले सेशन मे कहा था कि आप गन्ने के बारे में, खडसारी के बारे मे, गुड के बारे मे कोई एक नीति बनाएं। आज दुनिया मे दस सिक्सटीथ परसेंट केवल चीनी की खपत हो पाती है। चार सौ पाऊंड से ले कर साढे पांच सौ पाऊंड तक चीनी के दाम अन्तर्राष्ट्रीय मार्किट मे है। मैंने कहा था पिछले सेशन मे कि खडसारी को आप आम लोगो की जरूरतें पूरा करने के लिए दे, लोगो को इस्तेमाल के लिए खंडसारी दें, राशन शाप्स से दे, गवर्नमेंट शाप्स से इसे सस्ते दामो पर दे और चीनी का जहां तक

कुल आय है 36 परसेंट। मैं से एक परसेंट भी आप कमी न करें। इससे इनवेस्टमेंट कंटेंट होगी और पैट्रोल बिल का आप पैमेंट कर सकेंगे। चीनी की दुनिया के दूसरे बाजारों मे बेच करके फारेन एक्सचेंज आप अर्न कर सकते हैं जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन में मदद मिल सकती है, हमारी इकोनोमी मजबूत हो सकती है और मैंने यह भी कहा था कि एक मिलियन टन अगर आप पेट्रोल का आयात करते हैं और उसके बदले में एक मिलियन टन शूगर का निर्यात करते हैं तो पेट्रोल बिल का पेमेंट आपका उसी मे से हो जायगा। मैं जानना चाहता हू कि क्या आपने इस पर विचार किया है और किया है तो किस निष्कर्ष पर आप पहुंचे हैं। 1930 से ले कर आज 1976 तक मैं जानना चाहता हू कि कौन सी चीनी मिलो ने एक पैसा भी केन डिवेलेपमेंट पर खर्च किया है। किसान स्वयं अपना केन डिवलेप कर रहा है, किसान स्वयं अपनी थोडी सी जमीन मे गन्ना पैदा कर रहा है। हमारे प्रदेश मे हाहाकार मची हुई है। मेरे क्षेत्र मे चार चीनी मिलें हैं। मैं जब अपने क्षेत्र मे जाता हू तो सब से पहले अगर किसी का मुझे सामना करना पडता है तो गन्ना किसान का करना पडता है और इकबाल का शेर जो मैंने आपको सुनाया है, यह उस के बिल्कुल उपयुक्त है। मंत्री जी बैठे हुए हैं। बाहर मुझ मे कहते है कि तुम सैंट परसेंट ठीक बात करते हो। ये मंत्री हैं, इनकी मजबूरियां हो सकती है, मै मानता हू। हम आपस मे लडते भी हैं। ऐसा नही है कि नही लडते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हू कि अगर गन्ने तथा चीनी के उत्पादन को बढाना है तो हम को कोई सुनिश्चित नीति गुड, खंडसारी और चीनी के बारे में जानती बनानी पडेगी।

भार्गव कमीशन की रिपोर्ट आज तक बन्द है, उस पर अमल नही किया गया है। हमसे कहा गया कि अभी नेशनलाइजेशन के बारे में बात न करो। हमारी प्रधान मंत्री ने कहा, हम उनकी इज्जत करते हैं, वह हमारी रहनुमा हैं, वह आर्थिक स्थिति को जानती हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हू कि आज जिस स्थिति मे हम खडे हो गये हैं, उसमे हमारा इमोशन उन गन्ना किसानों के साथ हो गया है। वह हमारी मीटिंग मे आते हैं और कहते हैं कि हमारे गन्ने का दाम बाकी है। अभी माननीय मंत्री ने दिसम्बर तक के आकडे दिये कि कितने करोड रुपया गन्ने का बाकी है।

मेरे पास 37 मिलो के आकडे हैं कि 1959-60 और 1960-61 मे प्राफिट शेयरिंग पालिसी को लागू न करने की वजह से उन पर कितना रुपया बाकी है। 21 दिसम्बर को उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री श्री वीरेन्द्र वर्मा ने उन आकडो को पेश किया है उनको मैं यहा पेश कर के सदन का समय नही लेना चाहता हू।

आज किसान की क्या हालत है? क्या आपने दुनिया के किसी भी मुल्क मे यह देखा है कि जो किसान गन्ना पैदा करता है उसको यह कहा जाता है कि इसी रिजर्व एरिये मे इस मिल को माल बेचना है। हमारे ऊपर पाबन्दी है कि हम अपने गन्ने को एक क्षेत्र के बाहर नही ले जा सकते है और हमे एक ही चीनी मिल को देने के लिये बाध्य किया जाता है। हम उनसे बार्गेनिंग नही कर सकते हैं। हमको बाध्य किया जाता है कि गन्ने के दाम तय होने पर हम अपना गन्ना उन मिलो मे ले जायें। अब इस साल 30 दिसम्बर को दाम तय हुआ और पिछले साल 7 दिसम्बर को तय हुआ था। चीनी मिलें तब तक नही चलती है, जब तक गन्ने का दाम स्टेचूटरी पालिसी, लैवी शुगर पालिसी या

[श्री नरसिंह नारायण पांडे]

उनको बैंकों से जो कुछ मिलना है, वे उसके बारे में सरकार पर काफी दबाव न डाल लें और अपना गंतव्य पूरा न कर लें। अब चिल्लाना शुरु हो गया है कि अब तो बड़ा घाटा हो गया है, गन्ने का भाव सवा 12 रुपये और सवा 13 रुपये तय हो गया है।

श्री जगन्नाथ मिश्र : प्वाइंट आफ आर्डर। ('माने ए' partly illegible)

जिस विषय पर श्री पांडे भाषण कर रहे हैं, सभी जानते हैं कि वह उसके विशेषज्ञ हैं और उसके बारे में बड़ी जानकारी रखते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि दाम निर्धारित हो किस का—उस चीज का जिसका उत्पादन हो। आज हमारे देश में गन्ने की ऐसी स्थिति हो गई है, मिल मालिकों ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि उसका उत्पादन ही बन्द हो गया है। जो भी उत्पादन हुआ है, उसका पेमेंट नहीं हुआ है। इसका उदाहरण मैं अपने क्षेत्र की शुगर मिल के बारे में बताता हूं जिसे मैनेजमेंट ने बन्द कर दिया है, हजारों आदमी बेरोजगार हो गये हैं. . . (व्यवधान)।

MR. CHAIRMAN: There is no point of order.

श्री नरसिंह नारायण पांडे : मैंने अभी बताया कि आज गन्ना ही एक ऐसी चीज है, जिसका पैसा नहीं दिया जाता है। 15 दिसम्बर, 1975 को मेरे ही एक सवाल के जवाब में मंत्री महोदय ने बताया कि 22.74 करोड़ रुपया केवल उत्तर प्रदेश के चीनी मिल मालिकों पर बाकी है।

पिछली बार भी इस सदन में गन्ने पर बहस हुई थी तो बताया गया था कि सारे देश में मिल मालिकों पर कितना पैसा बाकी है। हमारे पास जो लोग आते हैं, वे कहते हैं कि अब की बार करोड़ों रुपया बाकी होगा, हम देने की हालत में नहीं हैं, क्योंकि गन्ने का भाव सवा 12 रुपये और सवा 13 रुपये तय कर दिया गया है।

इसीलिये भार्गव कमीशन ने कहा था कि जब कंज्यूमर, फार्मर का इन्ट्रेस्ट खत्म हो, तो उस समय सरकार को चीनी मिल को अपने आधिपत्य में कर लेना चाहिये। इस समय चीनी के उत्पादन को बढ़ाने के लिये, उसमें आत्मनिर्भर होने के लिये उसे एक्सपोर्ट करने के लिये आज यह समय आ गया है। मैं आपके और माननीय मंत्री जी के द्वारा प्रधान मंत्री से निवेदन करूंगा कि अब कोई इकनामिक्स नहीं रह गई है, अब कोई सोचने समझने की बात नहीं रह गई है कि इसका अधिग्रहण न किया जाये। तभी गन्ना किसानों का मामला तय होगा, अन्यथा यह मामला तय होने वाला नहीं है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में रिकवरी ज्यादा है। जब सरकार ने लिंकिंग और रिकवरी के फार्मूले को माना है, तो उसने जो दाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में तय किये हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के दामों को कम-से-कम उनके बराबर लाना चाहिये। मैं अपने क्षेत्र और अपने प्रदेश की ओर से यह मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं। मुझे आशा और विश्वास है कि वे इस पर विचार करेंगे और इस बारे में अपनी कोई निश्चित नीति बतायेंगे।

SHRI H. M. PATEL (Dhandhuka): Mr. Chairman, Sir, I would like to begin by congratulating Mr. Pandey who has just finished his speech for his mastery over the subject on which he spoke so admirably and I am also in entire agreement with what he had to say. He did not however go into the question of cooperative mills/factories run by the cooperative societies. What is the position of the farmers there? A discriminatory policy

which is being followed by Government in fixing the price of levy sugar. As you know, Sir, 65 per cent of the production of factories is to be surrendered to government as levy sugar and 35 per cent can be sold by them in the open market. One would have imagined that levy sugar prices would be fixed on the basis of something that is clearly recognisable; something with which everybody would agree gives a fair price. It is not clear on what basis the levy sugar price is fixed. Is it fixed on the basis of cost of production of sugar? Sugarcane prices are closely linked with the price of sugar. You will see that in the case of factories run by cooperative societies they pay for the sugarcane a reasonable price to the growers, a price to which they are entitled to unlike what happens in other areas where even this does not happen. Now, as I said, the discrimination is exercised in fixing the levy price of sugar will be clear from the figures which I shall just read out to you. In the case of Gujarat, in 1972, the price was Rs. 150/-; in 1973 the price fell to Rs. 145/; during 1974 and 1975, the price rose to Rs. 151, and now the present price is Rs. 124/-. For the same period, you will see, for instance, in South Bihar, in 1972 the price of sugar was Rs. 150/- which was same as for Gujarat. To-day, it is Rs. 442/-. In North Bihar where, in 1972, it was only Rs. 150, it is Rs. 224/- to day; in Central U.P., for instance, the price was Rs. 150 in 1972 and to-day it is Rs. 172/-; in Rajasthan again, in 1972, the price was Rs. 150 but to-day it is Rs. 195|-, in Andhra Pradesh, it was Rs. 150 in 1972 but it is Rs. 118 to-day. It is difficult to understand what justification there can be for such an extra-ordinarily wide variation. If Rs. 150 was a reasonable price in 1972 everywhere, on what ground, can they justify today that the cost of production in the different zones has varied so widely? The prices of inputs to which the hon. member Shri Pandey referred have gone up steeply. And you might say that everywhere the price of every single item of input has gone up to a more or less similar extent

What there can be the justification for these extremely wide variations? Take the co-operative factories. The hon. Minister must be aware—I am speaking only for Gujarat—that in Gujarat there is one factory which has today an accumulated loss of Rs. 167 lakhs and its capital of Rs. 120 odd lakhs is entirely wiped out by this accumulated loss. Today the price you have fixed for levy sugar is so low that even allowing for the profits which they will be able to make on the 35 per cent of the production in free market, they will be losing something like Rs. 40 per quintal, which means that their accumulated loss will go up further and they will cease to exist. There the growers will suffer not as growers but as investors who have put their money into this co-operative factory. I do not wish to dwell more on this point.

SHRI SHAHNAWAZ KHAN: What price are they paying to the growers?

SHRI D. D. DESAI (Kaira): Fourteen rupees.

SHRI H. M. PATEL: They are required to pay whatever they have agreed to pay and they are paying it. The difference between UP and Bihar here is that in UP and Bihar, the grower does not get the price to which he is entitled on the basis of the levy price, whereas in Gujarat they do get it.

SHRI ANNASAHEB GOTKHINDE (Sangli): In the co-operative sector.

SHRI H. M. PATEL: In Gujarat and Andhra Pradesh it is exactly the same position; so also in the case of Maharashtra.

The point I would like to emphasise is this, that Government should at least ensure that there is no discrimination in the fixation of price of levy sugar. Why should there be any variation? Let Government justify it. It seems to me impossible for you

[Shri H. M. Patel]

to justify this variation. For instance, if a year ago, it was right that the price in South Bihar should be Rs. 183 and in North Bihar Rs. 170, why should the price this year be raised for South Bihar to Rs. 442 and to North Bihar only to Rs. 224. There must be some explanation for so large a variation of Rs. 200.

Leave aside other areas. Take, for instance, Karnataka. Where again last year, the levy sugar price was Rs. 160. This year it is Rs. 140. What are the causes which justify a lowering of the price this year? Are the factories in these zone like Karnataka and others really making money and something has improved this year as compared to last year? The reduction in price is, in any case, difficult to justify, anywhere; in certain cases, the lowered price has come down to a level which is totally uneconomic. The whole case has been very exhaustively dealt with by Shri Pandey who has shown, that the price of sugarcane is linked with the price of sugar. There are, of course, other factors which must be taken into acount. And therefore, it is important that Government looks at this question as a whole and do so quickly. Even in studying the Bhargava Report, they have taken so much time. Why is it that they are not able to make up there mind quickly. Having appointed a Commission presided over by a Judge of the Supreme Court and with a membership of experts, when that Report comes to Government, even if it does not fall in line with whatever Government may think, why should Government not be able to make up their mind? In any case, how can they justify these widely varying prices that they have fixed for levy sugar? Why should they vary to the extent of Rs. 118 in Andhra Pradesh and Rs. 442 in South Bihar? And in between the variation in prices for other Zones is also such that it is difficult to understand that there is any rational reason underlying it. I think Government must give full thought to the points that are being urged in regard to their policy. I do not mind if they wish to favour anybody, but I do mind if they are fixed at levels which are unfair to the grower of sugarcane.

I see no justification for this when you keep saying that you want to give the highest priority to the agricultural sector. If the agricultural sector is to prosper then the first and most important thing to ensure is that the farmer gets a fair and reasonable price for what he produces. That fair and reasonable price for what he produces is necessarily linked with the price of the inputs that he uses and the output or productivity per acre and all the rest of it. In the case of sugarcane—there are other commodities also like this—he has been getting a raw deal. At least during this Eemegency when the Government has chosen to give the highest priority to the agricultural sector's development—having regard to the fact that the agricultural sector contributes fifty per cent of our national product—I think the fair thing to do would be to see that the grower gets a reasonable price—and the emphasis in the case of sugarcane growers of U.P. and Bihar is on their actually getting a reasonable price. They have been having an extraordinarily raw deal.

MR. CHAIRMAN: I am getting chits from hon. Members seeking permission to participate in the discussion. This is a discussion under rule 193 and under rule 195 only Members who had given previous intimation to the Speaker will be permitted to speak. Therefore, intimation slips which had been passed on to the Chair after the discussion had started will not be entertained and I request hon. Members to kindly refrain from sending any more chits. Besides there is no time.

SHRI G. VISWANATHAN: (Wandiwash): If the House agrees, we can do that.

MR. CHAIRMAN: We will have to suspend the rules then.

श्री ई० वी० विले पाटिल (कोपरगांव) : सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिए आपको धन्यवाद। पंडित जी ने और पटेल साहब ने जो कहा मैं उसका समर्थन करता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 12 चीनी मिलें हैं जिसमें 5 निजी मिलें हैं और 7 कोआपरेटिव सेक्टर में हैं। मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि गन्ने के दाम का झगड़ा बहुत दिनों से चल रहा है। चीनी मिलें जबसे चली हैं तभी से यह झगड़ा भी चल रहा है। जिस साल गन्ना ज्यादा पैदा होता है उस साल किसानों को गन्ने का दाम कम मिलता है। उस साल चीनी मिल मालिक किसानों को ज्यादा दाम देना नहीं चाहते हैं। जिस साल गन्ना कम बोया जाता है उसके दूसरे साल चीनी मिल मालिक कांपिटीशन में किसानों को ज्यादा दाम देते हैं। उस साल कोई झगड़ा नहीं रहता। देश की गन्ने के सम्बन्ध में हरएक साल की यह स्टोरी है। इसलिए मैं समझता हूं जब तक इसके बारे में लांग टर्म प्लानिंग नहीं होगी तब तक यह कठिनाई दूर नहीं हो सकती है। हमारे देश में शुगर की एक बेसिक इंडस्ट्री है। गए साल जो इस देश से एक हजार करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ उसमें 375 करोड़ की चीनी एक्सपोर्ट हुई। यदि आप इस बेसिक इंडस्ट्री को चलाकर अपने एक्सपोर्ट को बढाना चाहते हैं तो उसमें जब तक किसानों को गन्ने का उचित दाम नहीं मिलेगा तब तक गन्ना कैसे पैदा होगा और जब गन्ना पैदा नहीं होगा तो उसमें जैसे आज जगजरी चल रही है, अप ऐंड डाउन चलता है उससे इस देश की एकोनामी सफर होती है। जब आप टेक्सटाइल का सामान एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कैश सब्सीडी देते हैं, फाइनेंशियल कन्सेशन देते हैं लेकिन जब गन्ने के दाम का सवाल आता है तो सरकार में रिजिडिटी आ जाती है। पटेल साहब ने ठीक कहा कि लेवी प्राइस के बारे में कई चीनी मिल मालिक कोर्ट में गए, कोआपरेटिव की मिलें भी गईं जबकि दाम में इतनी डिसपैरिटी है। मिनिस्टर साहब कहेंगे कि कोआपरेटिव्ज ने अच्छे दाम दिए हैं। जरूर दिए हैं लेकिन क्यों दिए हैं ?

बात ऐसी है कि कोआपरेटिव के मेम्बर्स से कम से कम 20 से 25 रुपया डिपाजिट लेते हैं, इस तरह से रूरल मोबिलाइजेशन और सेविंग हो रहा है, उन्होंने करोड़ों रुपए के शेयर लिए हैं। महाराष्ट्र में 35 कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज का कुल मिलाकर ऐसेट्स 250 करोड़ रुपया है---यह कैसे इकट्ठा हुआ है ? इस तरह से एकट्ठा हुआ है कि आज वहां पर किसान खुद चीनी फैक्टरी चला रहा है, उसको गन्ने का ठीक दाम मिलता है, जिसकी वजह से सेविंग-मोबिलाइजेशन बहुत अच्छा हुआ है। इनके मुकाबले में ये चीनी मिल मालिक किसान को कभी भी सही दाम नहीं देते हैं, बल्कि इन लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया है कि को-आपरेटिव सैक्टर देश में घाटा पैदा कर रहा है, ये लोग इन्कम टैक्स पे नहीं करते हैं, इनके कारण नेशनल रिसोर्सेज में घाटा आ रहा है। मैं आज हिम्मत के साथ इस बात को आपके सामने कहना चाहता हूं कि हम न केवल एक तरफ किसानों को गन्ने का सही दाम देते हैं, बल्कि इन्कम टैक्स भी पे करते हैं दूसरी सुविधायें भी देते हैं। ये मिल मालिक, हमारे खिलाफ गलत बातें देश में फैलाने की कोशिश करते हैं।

आपको याद होगा---जिस दिन पार्शियल-डी-कन्ट्रोल का फैसला हुआ था, उसी दिन मिनिस्टर साहब ने यहां पर बयान दिया था---मिनिमम प्राइस से ज्यादा दाम इन चीनी मिल मालिकों को गन्ने का देना चाहिये, क्योंकि अब उनको पहले से ज्यादा नफा होगा और इसका लाभ किसानों को भी मिलना चाहिये। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि किसी भी मिल मालिक ने किसान को ज्यादा दाम नहीं दिया, जब कि उनको फ्री-सेल से काफी

[श्री ई० वी० विखे पाटिल]

फायदा होता है, उनका माल काले बाजार में बिकता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं—भार्गव कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि फ्री शुगर की सेल से जो रियलाइजेशन होगा उसका 50 परसेन्ट ग्रोवर को और 50 परसेन्ट इण्डस्ट्री को मिलना चाहिये—लेकिन इन चीनी मिल मालिकों ने इस बात को भी नहीं माना। सरकार कहती है कि गन्ने का दाम तय करना राज्य सरकार का काम है, भारत सरकार तो सिर्फ गाइड लाइन्ज दे सकती है, गन्ना खरीदना स्टेट सैक्टर में आता है—यदि यह राज्य सरकार का विषय है तो मैं पूछना चाहता हूं कि इन दोनों के बीच में किसान को क्यों फांस दिया गया है? इन सब बातों के बारे में आपको सोचना चाहिये।

मुझे एक बात कहना है—आप ने 40 करोड़ रुपये का फन्ड बनाया है—कन्ज्यूमर के लिये—वह ठीक है। जब ये चीनी मिल मालिक आप के साथ सहयोग नहीं करते, जो पैसा इन को अपनी मशीनों को बदलने के लिये मिलता है, उस रुपये का इस्तेमाल मशीनों के बदलने में नहीं करते तो सरकार इन को टेक-ओवर क्यों नहीं करती। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार इन को टेक-ओवर करले और इसफन्ड का रुपया इस काम में इस्तेमाल किया जा सकता है। भार्गव कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इन को टेक-ओवर कर सकें, मैं कहता हूं कि आप के पास यह फन्ड है, आप इस फन्ड को इस काम में लगा सकते हैं। मेरा यह विश्वास है कि जब तक ये चीनी मिलें मिल-मालिकों के पास हैं, किसानों को न्याय नहीं मिल सकता, वे मिलों में घाटा दिखा रहे हैं, किसानों को पूरा पैसा नहीं देना चाहते हैं। आप को याद होगा—जिस साल गन्ना कम पैदा हुआ—इन मालिकों ने गन्ना ज्यादा दाम [illegible] लिया और इस तरह से अपने यहां घाटा दिखाया। पिछले साल यू० पी० में जब सरकार ने ज्यादा दाम देने को कहा तो घाटे का सारा दोष सरकार पर लगा दिया कि सरकार ने ज्यादा दाम पर गन्ना खरीदने के लिये बाध्य किया।

एग्रीकल्चरल कमीशन के बारे में कई सदस्यों ने यहां पर जिक्र किया। श्री पाण्डे जी ने भी बताया कि तमाम इनपुट्स के दाम बढ़ गये हैं—फिर भी कमीशन ने सही दाम दिलाने का प्रयास नहीं किया। मेरा यह कहना है कि एग्रीकलल्चरल प्राइस कमीशन जिस तरह से काम कर रहा है, इसके ढांचे को भी बदलना चाहिये, इस ढांचे से किसान को न्याय नहीं मिलेगा। हम किसानों के लिये बहुत से कानून बनाते हैं, लेकिन किसानों से सम्बन्धित बहुत सी बातों को राज्य सरकार पर छोड़ देते हैं—ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा, इस से हमारी पैदावार नहीं बढ़ेगी—हमें इन बातों पर विचार करना चाहिये।

बोनस का जो मामला चल रहा है—मेरे ख्याल में आगे चल कर बहुत दिक्कत आयेगी। हमारा कोआपरेटिव सैक्टर अपने वर्कर्स को बोनस देना चाहता है, हम को दाम कम मिलेगा, तो भी हम बोनस देंगे, लेकिन ये चीनी मिल मालिक 4 परसेन्ट से ज्यादा नहीं देना चाहते, उलटा कहेंगे कि हम को तो नुकसान हो रहा है। एक तरफ किसान को कम दाम देते हैं, दूसरी तरफ वर्कर को बोनस नहीं देना चाहते—इस तरह से बहुत दिक्कत आयेगी, इस के बारे में सरकार को सोचना होगा। आज एम० आई० एस० ए०, डी० आई० आर० आदि कानून लागू हैं, मेरा निवेदन है कि इन कानूनों को अगर चीनी मिल मालिकों पर भी लगा दो तो यह बिल्कुल [illegible] हो जायेंगे [illegible] चीनी

मिल मालिक कम दाम देते हैं उन के खिलाफ़ सख्त कार्यवाही करनी चाहिये। यह लोग अपनी बैलेंस शीट में बहुत मैनिपुलेशन करते हैं जिस को रोका जाना चाहिये।

MR. CHAIRMAN: The time allotted for this discussion is three hours. It means that we will have to and up by 6.30. At 6 O'clock I will call the Minister to reply, and he will continue tomorrow. Since the time is limited, Members may kindly confine themselves to within 5 minutes. And the list is long.

SHRI D. K. PANDA (Bhanjanagar): Mr. Chairman, Sir, on this subject of sugar policy or sugarcane policy, I find for the last four years that there is always a traditional way of getting things done; and always, a traditional answer is forthcoming. There is now absolutely no reason to argue in favour of a remunerative price and on the principles of fixation of price of the cane, because they have already been decided. And it is enacted into an Act; and under the Cane Control Order, the two principles are already fixed, viz. income from any alternative crop and secondly, the actual cost of production. And my friend Mr. Narsmgh Narain Pandey has correctly said that this has not, as a matter of fact, been observed. In spite of several Questions, Private Members' Resolutions under rules 197 and 184 and other measures taken by Members of Parliament from both the sides, we are still not getting a clear picture, nor a clear answer. I would say that the answer has become traditional. The simple question now is whether, while fixing the price of cane, these two factors are to be taken into consideration and whether all our arguments should be put forth because we consider that the law, as already framed, has to be respected If we have any respect for the law or the provisions of the Cane Control Order, we should stick to it. There is no point for argument. Take, for example, cane arrears. It has now gone up to Rs. 52 crores. It is Rs. 29 crores for 1975-76; and for 1974-75 the arrears have gone up to Rs. 23 crores. Altogether, the cane price arrears have come to Rs. 52 crores. How can this be recovered? There is a Recovery Act already. In how many cases has it been applied? In no case. And in U.P. itself you will find that out of 46 mills, Rs. 18.62 crores are the arrears and in 17 mills, the figure is Rs. 2.77 crores for 1973-74. And there is only one case against one mill. This is the latest figure. What is the meaning? The Recovery Act is already in vogue; but it is not being implemented. Rather, it is being violated. Similarly, the Cane Control Order is there; but it has been violated consistently all these 27 years. Let us now see what action has been taken against these sugar thugs who should immediately to be brought to books, because that is the national cry. Now, instead of taking any action against them,—we need not demand it under this bill; but under Emergency or the MISA we can do it—if you simply follow the policy of persuation, it can never be realized. They always want to make huge profits by looting the cane growers, not only by not paying reasonable prices, but also by keeping with them money to the tune of crores of rupees and not paying the growers in time. Even though under the law it has to be paid within 14 days, it is not being paid. So, why not apply the MISA or DIR against these persons, who are violating the law pertaining to the Cane Control Order?

On 1st November 1975 in answer to a question the Government were pleased to say that they are going to give certain concessions to the very sugar magnates who are having some expansion projects When the cane growers were the worst sufferers because they had to pay a higher price for fertilizer and water, the main inputs for agriculture, the Government were not willing to come forward with

[Shri D. K. Panda]

any measures to help the cane growers. But when the price of machinery and other things have gone up, you say that those who want to expand their unit must be given some concession. At one time these very sugar magnates, sugar barons, who are now coming with a proposal for expansion, they were running their mills below capacity in order to make profits by creating scarcity conditions. Now when they come forward with a proposal for expansion, you want to give them all the facilities. You are increasing the levy-free quota of sugar for them. In the name of expansion, they have been given more and more concessions, as per the recommendations of the Sampath Committee.

I will remind the hon. Minister the seminar of the All India Cane Growers which he attended in December 1975, where almost all the 287 members opined that the only remedy is to see that the arrears are not there, the remunerative price is fixed and the consumers are given some relief. The only way to put an end to all these wrongs is to nationalise the sugar industry, but that is not being done.

Coming to the additional profits, how many of the sugar factories or the sugar barons have come forward to give 50 per cent of their profits to the cane-growers? Is there one such single case? Then, why should the hon. Minister come forward to advocate the cause of the sugar magnates on the pretext that the price of machinery has gone up?

When in 1974 we demanded Rs. 186 per ton of cane, what was the reply? The reply was that if we increase the cane price, then the prices of other agricultural produce would go up. But when the prices of other agricultural products went up, when we demanded a higher price for cane, you said that your effort will be to bring down the prices and so there should be no increase in prices.

Last year they were getting at least Rs. 16.50 per quintal. This year it is far below that. Every year a new argument is being advanced and you do not pay heed to what is being discussed here or to the demands of the cane growers. I hope the hon. Minister will not give his tradition reply. The price which they fix should be a remunerative price. It should not be below Rs. 16.50, which they got last year.

SHRI SHAHNAWAZ KHAN: Last year they did not get Rs. 16.50. In U.P. it was Rs. 13.50; in Western U.P. it was Rs. 14.50.

SHRI D. K. PANDA: They did get it.

SHRI SHAHNAWAZ KHAN: You are making a wrong statement.

SHRI D. K. PANDA: That alone can be called a remunerative price. Secondly, why not a statutory committee of Members of Parliament be constituted for fixation of the cane price since this has been the demand from 1956?

श्री डी० एन० तिवारी (गोपालगंज) : सभापति, जी यह बहुत ही दुखद बात है, और इसको आयरनी आफ फेट कहेंगे कि जब प्रोडक्शन बढता है, तो दाम नीचे आते हैं और जब प्रोडक्शन कम होता है, तो दाम ऊंचे जाते हैं। हम खेतिहरो को कहते हैं कि अधिक से अधिक उत्पादन करे, लेकिन जब वे अधिक उत्पादन करते है, तो वे देखते है कि उनको कास्ट प्राइस भी नही मिलता है—मुनाफे की कौन कहे, उनको उत्पादन का खर्चा भी नही मिलता है। इस स्थिति मे हर गृहस्थ यह सोचेगा कि मैं क्यो अधिक पैदा करू ? जब किसान सरकार के कहने से और अपने फायदे के लिये गन्ना, गेहूं, चावल और जूट आदि चीजो का अधिक उत्पादन करता है, तो उसका दाम कम हो जाता है। इस तरह तो उसको कम पैदा करने में ही फायदा है। ज्यादा पैदा करने में, फायदा

नहीं है। क्योंकि ज्यादा पैदा करने से उसको ज्यादा इनपुट्स लगाने पड़ते हैं और सिंचाई आदि पर अधिक खर्च करना पड़ता है, जिससे उसके उत्पादन की कास्ट बढ़ जाती है। अगर वह कम उत्पादन करेगा तो उसकी लागत कम लगेगी और दाम अधिक मिलेगा।

क्या सरकार ने कभी यह सोचा है कि कोई ऐसा उपाय किया जाये कि जब कोई चीज अधिक पैदा हो तो उसका दाम कम न हो, बल्कि अधिक पैदा करने वाले किसानों को कुछ इनाम मिले ? क्या सरकार ने कभी यह सोचा है कि जो गृहस्थ अधिक पैदा करता है, उसको कुछ इन्सैंटिव दिया जाये, या उसका दाम बढ़ा दिया जाये ? आज शुगर केन मे क्या हो रहा है ? दो बरस पहले जब शुगर केन पैदा हुआ तो मिल मालिकों ने कपीटीशन मे शुगर केन का दाम बढ़ाया। सरकार का दाम कम था लेकिन उन लोगो ने बढ़ाया और वह बराबर कहते थे कि शुगर केन का दाम कम है और गवर्नमेंट को उसे बढ़ाना चाहिये।

जब किसान के इनपुट्स से दाम ड्योढे हो रहे है तो क्या उनके उत्पादन के दाम मे भी कुछ बढ़ोतरी नही होनी चाहिये ? आज खाद, पानी और दूसरे इनपुट्स का दाम बढ़ गया है। जो सामान किसान इस्तेमाल करते है, जैसे कपडा, लोहा आदि, उन सब का दाम बढ़ गया है, लेकिन उसके अपने उत्पादन के दाम वही के वही फिक्स किये हुए हैं, जहा वे गत साल थे। यह कहा का न्याय है ?

मिल-मालिक इतना ही नही करते हैं कि वे गन्ने की कम कीमत दे, बल्कि वे नई-नई चीजें बेचते हैं जिससे उनको अधिक फायदा हो। अब वे बगास को भी बेचते हैं। मगर उसको अपने हिसाब में नही दिखाते। पहले किसान चीनी मिलों से प्रैस्ड अर्थ या प्रैस्ड मड मुफ्त ले जाते थे। अब उसको भी 2, 4 रुपये क्विंटल पर बेचना शुरु कर दिया गया है और उसका भी हिसाब नही दिखाया जाता है।

अगर सरकार उनका सब हिसाब देखे, तो, पता चलेगा कि वे लोग न मालूम कितना मुनाफा कमाते है। वे लोग न स्टेट गवर्नमेंट को सेल्सटैक्स देते हैं और न इनकम टैक्स देते हैं। अगर सरकार उनका सब हिसाब देखे तो चीनी के दाम कुछ कम किये जा सकेंगे।

आज सब मार ग्रोअर्स पर पडती है। फर्टिलाइजर, पानी और बिजली आदि के दाम बढ़ गये हैं। लेकिन किसानों को 1972–73 के दाम मिल रहे हैं। इस स्थिति में वे अधिक पैदा करने के लिये कैसे उत्साहित होंगे ? सरकार चाहती है कि देश मे अधिक से अधिक चीनी पैदा हो, ताकि उसको बाहर बेचकर फारेन एक्सचेंज कमाया जा सके। इसके लिये वह किसानों को क्या इन्सेंटिव दे रही है ? सरकार को कोई ऐसा फार्मूला निकालना चाहिये, जिसके अन्तर्गत अगर कोई किसान अधिक उत्पादन करे, तो उसको इन्सैंटिव दिया जाये। आज तो उल्टे उसके उत्पादन के दाम कम कर दिये जाते हैं, या वही रखे जाते है। अगर गृहस्थ को कपड़ा, लोहा और अन्य सामान पहले के दामों पर मिले, तो उसको अपना गन्ना 12½ या 13½ रुपये क्विंटल पर बेचने मे कोई उज्र न होगा। लेकिन आज उसको अपनी जरूरत की चीजों के बहुत दाम देने पड़ते हैं। आखिर सरकार किसानो के संबंध में इतनी कोताही क्यों कर रही है कि वह उनके उत्पादन के दाम नही बढ़ा रही है ?

[श्री डी० एन० तिवारी]

विभिन्न जोन्स में दाम में जो फर्क है, उसके बारे में कई माननीय सदस्यों ने कहा है। मुझे उसका कोई औचित्य मालूम नहीं होता है। मंत्री महोदय को इस तरफ ध्यान देना देना चाहिये।

जब कारखानों के उत्पादन के दाम बढ़ गये है, तो किसान के उत्पादन के दाम क्यों नहीं बढ़ाये जाते है ? क्या इसलिये कि वे मूक है, उनकी आवाज सरकार तक नहीं पहुंचती है और हम यहां जो अरण्यरोदन करते है, उसकी सुनवाई नहीं होती है ? चूंकि वे शुगरकेन को बहुत दिनों तक नहीं रख सकते हैं, इसलिये उन पर यह मार पड रही है। अगर वे भी आर्गेनाइज्ड होते और मिलों को न चलने देते, तो सरकार झख मार कर उनको अधिक दाम देती। यह आवश्यक है कि अन्य सामानों के दाम जितने बढे हैं, उसी अनुपात से किसान के उत्पादन के दाम भी बढाये जायें।

मिलों के हिसाब की ज्यादा स्ट्रिक्टनेस से जांच करनी चाहिये, ताकि यह पता चले कि वे किन-किन चीजों को बेचते हैं और उससे उनको क्या लाभ होता है। ऐसा करने से उनके दाम कम होंगे। शायद सरकार के एकस्पर्ट्स इस बात को नजरन्दाज कर देते हैं। मंत्री महोदय को इस तरफ ध्यान देना चाहिये।

श्री राम चन्द्र विकल (बागपत) सभापति जी, आज किसान के गन्ने के भाव पर यहां चर्चा हो रही है। इस बारे में श्री नरसिंह नारायण पांडे ने बहुत ही युक्तिपूर्ण और तर्कपूर्ण ढंग से यह साबित किया है कि किसान को गन्ने का जो मूल्य मिल रहा है, वह न्यायोचित नहीं है।

16.44 hrs.

[SHRI ISHAQUE SAMBHALI in the Chair]

अगर हम देश में आर्थिक कार्यक्रम को चालू रखना चाहते हैं, तो हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हम पैदावार करने वाले किसान और मजदूर को आर्थिक साधन और सहायता दें और साथ ही समाज में सम्मान भी दें। अगर पैदा करने वाले को साधन और सम्मान नहीं दिया जायेगा, तो आर्थिक कार्यक्रम को सफल कौन बनायेगा ?

किसान की हैसियत दो प्रकार की है। वह पैदा भी करता है और खरीदता भी है। उत्पादक की हैसियत से जो चीजें वह पैदा करता है, उसके दाम बराबर गिरते चले जायें, और जो चीज वह उपभोक्ता की हैसियत से खरीदता है, उसके दाम बढ़ते चले जायें, तो वह किसान पर एक प्रकार का डबल जुर्माना है। जब यह डबल जुर्माना होगा किसान के ऊपर तो पैदावार बढाने के लिए वह किस तरह से साहस करेगा ? यह एक मोटी बात मैं आप को कहना चाहता हूं। आज किसान के ऊपर जैसा पांडेय जी ने कहा अनेक तरह के टैक्सों की दरें बढी है। चाहे वह बिजली की हो, आबपाशी की हो या लगान हो इन की सब की दरें बढी हैं और किसान की चीजों के भाव गिरते गए हैं। तो जहां किसान की आर्थिक हालत खराब होगी, मैं समझता हूं कि सारे राष्ट्र की आर्थिक हालत खराब होती चली जायगी और हमारा जो स्वप्न है वह स्वप्न अधूरा रह जायगा।

दुर्भाग्य यह है कि किसान अपना हिसाब मेहनत का और लागत का खुद नहीं जानता बल्कि उलटे यह है कि किसान अपनी गरीबी को अमीरी कर के शो करता है। दूसरी तरफ जो अमीर लोग हैं, मिल मालिक है वह अपने मुनाफे को घटा कर के दिखाने के आदी है चाहे वह इन्कमटैक्स के भय से हों चाहे किसी दूसरे भय से। तो दोहरा फर्क हो जाता है किसान की मनोवृत्ति में और मिल मालिक की मनोवृत्ति में। और खाली

सिल मालिक ही घाटे के खाते बनाते हैं ऐसी बात नहीं, हमारे सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अधिकांश ऐसे हैं कि जो मिल मालिक के फेवर की दलीलें लाएंगे, मिल मालिक के दिवालिये को अच्छा साबित करेंगे। मगर किसान के फेवर में दलील देने में वह भी पता नहीं क्यों मजबूर होते हैं और दुर्भाग्य यह है कि जो देश के अर्थशास्त्री हैं जिनके ऊपर सारे देश के भावों का निर्धारण निर्भर करता है वह चाहे वह मूल्य आयोग हो या अर्थ शास्त्री हों, वह भी किसान को मेहनत और लागत के तौर पर उपकी जिन्स के भाव तय नहीं कर पाते। यह सोचना होगा और सरकारों को सोचना होगा कि इन सब बातों के होते हुए कोई ऐसा रास्ता निकाला जाय जिससे पैदा करने वालों को उचित दाम मिल सके और उनको उचित साधन मिल सके।

सभापति महोदय, आप भी उत्तर प्रदेश से आते हैं। आप भी जानते हैं कि जब किसान हमसे पूछते है कि 1967 और 68 में इन्हीं किसानों को अनेक मिलों ने 21 रुपये क्विंटल 17 रुपये क्विंटल गन्ने का भाव दिया और आज जब किसान की खरीद के भाव बढ़ते चले गए हैं तो उसके गन्ने का दाम कम क्यों होते जा रहे है, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। 1974 में सवा पन्द्रह रुपये फी क्विंटल सरकार ने तय किया कि देंगे, पन्द्रह रुपये देंगे। कुछ दिन बाद साढ़े चौदह हो गया और साढ़े चौदह भी तब हुआ जब प्रधान मंत्री ने मध्यस्थता की, वरना फरवरी के बाद मिल मालिकों ने 11 रुपया देना शुरू कर दिया। उन्होंने कोई मीटिंग की लखनऊ और दिल्ली में और घोषणा कर दी कि 11 रुपये क्विंटल देंगे। प्रधान मंत्री ने मध्यस्थता की तब भी 11 से लेकर साढ़े चौदह रुपये तक का भाव रहा। आज भी मैं प्रधान मंत्री को बधाई देता हूं कि वह बीच में पड़े हैं तब इतना तय हुआ है वरना सरकारी कर्मचारी और अर्थ-शास्त्री तो कुछ और ही बात कहना चाहते थे। वह तो 12 रुपये से आगे बढ़ना ही नहीं चाहते थे। मेरा कहना है कि इस पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि किसान की उपज के भाव गिरते चले जायें और उसकी खरीद के भाव बढ़ते चले जायें तो उसका परिणाम क्या होगा ?

मिल मालिक मैली को भी बेचते हैं, शीरे को भी बेचते हैं, छोई को भी बेचते हैं और चीनी भी बेचते हैं। सब के दाम बढ़ते चले गए और वह सरकार से और मांग कर रहे हैं कि हमारी चीनी के भाव और बढ़ाए जाएं। उसके लिए बहुत दलीलें निकल आती हैं, कहते हैं, मिलें पुरानी हैं, मशीनरी खराब हो गई हैं लेकिन किसान के फेवर की दलील नहीं आतीं, यह मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है।

किसान खाली आर्थिक तौर पर इस देश में त्रस्त है यही नहीं है। किसान के प्रति अच्छी धारणा और भावना भी नहीं है और मैं यह कहना चाहता हूं कि जो इस देश का प्रहरी है जिसका लड़का सीमाओं पर रक्षा करता है, जो यहां अन्न उत्पादन करता है और पैदावार बढ़ाता है उसके प्रति सद्भावना नहीं हो पाती तो दुर्भावना भी नहीं होनी चाहिए। मुझे पंडित जवाहरलाल जी नेहरू की उस भावना से बहुत प्रेरणा मिलती है और मैं समझता हूं कि सारे देश को मिलनी चाहिए जो उन्होंने अपनी विल में लिखा था कि मेरी भस्मी किसानों के खेतों पर डाली जाय। किसान के खेतों पर भस्मी डालने के पीछे पंडित जवाहरलाल जी की भावना भरी पड़ी थी, वह किसान का आदर करना जानते थे, वह जानते थे कि यह देश किसानों का है, किसान के बिना यह देश आगे नहीं बढ़ सकता है। मुझे उनके वह शब्द भी याद है, उन्होंने कहा था कि किसान मेरे गुरु है, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर आदि जिलों के किसानों में मैं जाता था तो किसानों ने मुझे प्रेरणा दी, किसानों ने मुझे बोलना सिखाया। लेकिन उस किसान के बारे में आज जबान नहीं खुलती, कलम नहीं

[श्री राम चन्द्र विकल]

उठती। बुद्धि कुंठित हो जाती है सोचने में। मैं कहना चाहता हूं कि किसान जो एक बहुत बड़ा तबका है वह इस देश का अन्नदाता है, वही वस्त्रदाता है, वही घी-दाता है, वही दूध दाता है, वही कपड़ा-दाता है, कौन सी चीज है जो वह नहीं देता है ?

मैं कहता हूं कि किसान इस देश का प्राणदाता है। अगर उसके बारे में इस तरह की भावनायें हों, उसके लिए उल्टी नीतियां अपनाई जायें, उनकी बातों की सनवाई न की जाये तो देश के लिए वह कोई शुभ लक्षण नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हू कि आप भी किसान क्षेत्र से आते हैं, आप किसानों के हिमायती हैं, हम सभी को किसानों के बारे में सही तरीके से सोचने की परम्परा को चलाना होगा चाहे वह केन्द्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकारें हों, चाहे वह देश के अर्थ-शास्त्री हों, सरकारी कर्मचारी हों या राज-नेता हों—सभी को उनके बारे मे सही दिल से सोचना होगा। आखिर इस देश में जो भी पैदा होता है वह पैदावार खेत और कारखानों में ही होती है लेकिन जो पैदा करने वाले हैं उनके हालात क्या है ? आज जो पैदा करते हैं वही दुखी हैं, आज उसी का अनादर है, कोई उसके बारे मे सही सोच नहीं सकता है। ऐसी हालत में उसका दिल टूट जाता है। इसके बाद तो इस देश को घाटा ही होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हू कि किसानों के बारे में इस देश के अर्थ-शास्त्री और दूसरे सभी लोग सोचे। किसान की पदावार का मूल्य निर्धारित करने के लिए जो कृषि मूल्य आयोग हैं उसमे भी परिवर्तन होना चाहिए। उसमें व्यावहारिक किसानों को भेजा चाहिए—ऐसे लोग जो स्वयं पैदा करते हैं, जो किसानो के दर्द को जानते हैं उन लोगों को रखना चाहिए और कागजी लोगों को वहा से निकालना चाहिए जोकि झूठे सच्चे कागज बनाते हैं और उन्हीं के आधार पर सरकार की नीतियां चलती हैं। इसलिए कृषि मूल्य आयोग में किसानों को भेजना चाहिए। पिछले दिनों सुना कि केन्द्रीय सरकार की नीति कुछ तब्दील हो रही है। मिल के मुनाफे में किसान मजदूर को साझी-दार बनाया जायेगा लेकिन वह मामला मुझे स्वप्न सा नजर आता है। किसान मजदूर उसमें साझीदार हो सकेंगे यह मुझे कुछ स्वप्न सा लगता है। बहुत से लोगों ने मांग की है कि अगर मिलें घाटे में चलती हैं तो सरकार उनका राष्ट्रीयकरण कर ले लेकिन मैं समझता हूं खराब मिलों की जिम्मेवारी सरकार को नहीं लेनी चाहिए। यह बात सही नहीं है कि मुनाफा तो मिल मालिक ले और मिल खराब हो जाये तो उसकी जिम्मे-दारी सरकार उठाये। इस प्रकार तो मिल मालिक और भी बढ़ा चढ़ा कर अपने कागज बनायेंगे और सरकार तथा किसानों को मुगा-लते में रखेंगे। अन्त में मैं आपको धन्यवाद देता हूं और श्री नरसिंह नारायण पांडे जी को बधाई देता हूं कि उन्होने एक तर्कपूर्ण ढग से विस्तार मे सारी नीतियां यहां पर रखी और दूसरे तमाम आंकड़े यहा पर प्रस्तुत किये। मैं एक किसान के रूप मे मोटे तौर पर इस भावना को रखना चाहता हूं कि देश मे पैदा करने वाले किसान और मजदूरों को साधन और सम्मान मिले तभी हमारे आर्थिक कार्यक्रम सफल होंगे, यह देश आगे बढ़ेगा और अन्न के मामले मे हम विदेशो के गुलाम नही रहेगे।

श्री रामदेव सिंह (महाराजगंज) : सभापति जी, चीनी उद्योग खतरे मे पडा हुआ है। लोगो ने यहा पर बहुत सही और साफ बाते कही है। हमारे विकल जी ने जिम्मेवारी डालने के लिए सरकारी मुला-जिमों को तो ले लिया लेकिन मंत्रियो को बक्श दिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि चीनी उद्योग हमारे देश का बड़ा महत्वपूर्ण उद्योग है। हम यहां पर अधिक चीनी पैदा करके बाहर भेज सकते हैं और विदेशों से पैसा ले सकते हैं लेकिन सरकार की उपेक्षापूर्ण नीतियों,

के कारण यह उद्योग और ईख की खेती खतरे में पड़ गई है। यहां पर भार्गव कमीशन की चर्चा हुई लेकिन उसको अभी तक ताक पर रखा हुआ है। आपको स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए कि आप चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करेंगे या नहीं करेंगे। अगर राष्ट्रीयकरण करेंगे तो उसमें विलम्ब नहीं करना चाहिए, नहीं करेंगे तो स्पष्ट घोषित कर देना चाहिए क्योंकि पिछले दो तीन सालों से मिल मालिक एक पैसा भी फैक्ट्री में नहीं लगा रहे हैं। कब उसकी फैक्ट्री ले ली जायगी, दुविधा मे पड़ा है, असमंजस में पडा है—इस बात को साफ कर देना चाहिये।

ईख की जो कीमत निर्धारित की गई है, वह विचित्र है। इस सरकार की यह पालिसी है कि ऐसा काम राज्य सरकार पर डाल दो, लेकिन उनको ठीक से करने भी न दो—ऐसा क्यों होता है। हम पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं—चीनी की कीमत बढ़ जाती है, लेकिन ईख की कीमत नहीं बढ़ती। सरजू पाण्डेय जी ने ठीक कहा है—आज जिस भाव पर सूखी लकड़ी बाजार मे बिक रही है, उस से भी कम कीमत ईख की खेती करने वालों को दी जाती है। हर चीज का दाम बढ रहे हैं, 500 रुपये का बिकनेवाला पम्पिंग सैट आज 5000 रुपये का बिक रहा है 10000 रुपये मे बिकने वाला जेटर ट्रैक्टर आज 40 से 46 हजार मे बिक रहा है। ये सारी चीजें जो किसानो के खेतो मे उपयोग मे आती है उनको महगे दामों मे खरीदनी पडती हैं, लेकिन ईख की कीमत नही बढ रही है।

सभापति जी, पिछले दिनो एग्रीकल्चर की कन्सलटेटिव कमेटी की मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग को जगजीवनराम बाबू प्रेसाइड कर रहे थे। हमने कहा कि ईख की कीमत ठीक से निर्धारित कीजिये, आज ईख की खेती का ह्रास हो रहा है, यदि ऐसे ही चलता रहा तो ईख की खेती इस देश में समाप्त हो जायगी। तब जगजीवन बाबू बोले—रामदेव बाबू, वह दिन इस देश के लिये बड़ा शुभ दिन होगा, जब ईख की खेती इस देश में बन्द हो जायगी और तब दूसरे अन्न की खेती होने लगेगी। हमने कहा—जगजीवन बाबू, आप भारत सरकार के खाद्य मन्त्री है, जब आप को ही यह विचार है, तब हमको इस सम्बन्ध में कुछ नही कहना है। जिस ईख की खेती से चीनी बनती है, जो मानव की औसत खुराक है, इस देश के लिये ही नही सारी दुनिया के लिये है, भले ही दूसरे देशो मे चीनी दूसरी चीजों से बनाई जा सकती हो, लेकिन हिन्दुस्तान मे तो ईख को छोड़ कर दूसरे किसी पदार्थ से चीनी नही बनाई जाती। जिस चीनी को हम विदेशों को भेज कर विदेशी मुद्रा कमाते है, इस देश की आवश्यकता को पूरा करते है—यदि उस ईख की खेती बन्द हो जाय तो वह इस देश के लिये दुर्भाग्य होगा या सौभाग्य होगा—इस बात को यदि इस देश के खाद्य मन्त्री नही समझ सकते है, तब फिर जो स्थिति आज चल रही है उस मे किसी को आश्चर्य नही होना चाहिए। मैं तो आप से यही निवेदन करना चाहूगा—यदि सरकार के दिल मे इस देश के गरीबों के लिये, इस देश के किसानो के लिये दर्द है तो उस को चाहिए—ईख की और चीनी की सही कीमत निर्धारित करे, एक सही नीति बनाये। इस के लिये वह चाहे पालियामेंट के मेम्बरो के साथ बैठकर बातचीत करे या हमारे गावो मे जो एक्स-पर्ट्स है, जो हमारे किसान है, उन के साथ बैठकर बातचीत करे और एक सही नीति बनाये। लेकिन दिक्कत यह है कि इस सरकार मे आइ० ए० एस० अफसर ही सारी बातों के एक्सपर्ट है। जब भी कोई चीनी सिक मिल ली जाती है, उसको चलाने के लिये वहीं से ए० डी० एम० को बुला लेते हैं या कहीं से कलैक्टर को बुला लेते हैं। गाव मे जो चीनी विशेषज्ञ हैं, जिन मे बहुत से पढ़े-लिखे और अच्छे लोग भी है, जिन्हे चीनी उद्योग चलाने का अनुभव भी है, ऐसे लोगों को मार्किट मे नहीं खोजते हैं।

[श्री राम देव सिंह]

यह कलेक्टर और ए० डी० एम० को खोजते हैं जिन्होंने कभी गन्ने को खेती देखी नहीं, कोई उस की जानकारी नहीं कि किसान गन्ने को काट कर कैसे बेचने के लिये लाता है। जिन लोगों को इन बातों का ज्ञान नहीं है उन्हीं को फैक्ट्री का डायरेक्टर बनाया जाता है, वही चीनी की कीमत निर्धारित करते हैं। ऐग्रीकल्चर प्राइस कमीशन को जो तोड़ने की बात कही गई है मैं उस का समर्थन करता हूं। ऐसे आयोग को कोई आवश्यकता नहीं है जिस को वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं है। एक जमाना था जब अंग्रेजों के काल में चीनी की कीमत ईख की कीमत से निर्धारित होती थी। एक रु० मन चीनी बिकती थी तो 1 रु० मन ईख बिकती थी, 20 रु० मन चीनी हुई तो गन्ने का दाम सवा रु० हो गया, 32 रु० मन चीनी तो गन्ना 2 रु० मन हो गया, 40 ० मन चीनी तो गन्ना ढाई रु० मन बिकता था। आज गन्ने की कीमत नीति पर निर्धारित करते हैं यह समझ में नहीं आता, यहां माननीय सदस्य भी नहीं समझ पा रहे है कि आज जो गन्ने की कीमत दे रहे हैं उसका निर्धारण करने के पीछे क्या उसूल सरकार का रहता है, यह हमारी समझ में नहीं आता। हम ऐग्रीकल्चर कंसल्टेटिव कमेटी के सदस्य हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि कौनसा उसूल सरकार फोलो करती है।

17.00 hrs.

यह सरकार कभी भी चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण नहीं करेगी क्योंकि सरकार ने चीनी मिलों को अपना चरागाह बना रखा है, और जब कहीं चुनाव आया तो लाखों रु० चीनी मिल ओनर्स एसोसियेशन इन को देता है। ऐसा चरागाह क्यों समाप्त करेंगे। आज करोड़ों रु० किसानों का चीनी मिल मालिकों पर बकाया है हमारे यहां एस० के० जी० मिल के पास 17 लाख रु० किसानों का बाकी है लेकिन उसको वसूल करने की कोई कोशिश सरकार नहीं कर रही है। अगर हमारे ऊपर सरकार का 1 रु० भी रह जाता है तो निलाम का वारन्ट जारी कर देते हैं, उसके बैल खोल लिये जाते हैं, कुर्की निकाली जाती है, जेल में बन्द करते हैं। लेकिन इस सरकार में हिम्मत नहीं है कि मिल मालिकों से किसानों का बकाया दिला सके। सरकार के पास शक्ति है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करती जिससे बकाया वसूल कर सके। मिल मालिक का पैसा सरकार की शक्ति पर पानी डाल देता है।

एक माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा कि आज कल इमरजेंसी है जिस पर आप को नाज है। तो इसको चीनी मिलों पर क्यों नहीं लागू करते हैं जिन पर करोड़ों रु० किसानों का बकाया है। आप सभापति जी, गांवों में जाते होंगे, हम भी जाते हैं, किसान अपनी बेटी के विवाह के लिये कहता है कि हमारा 1,000 रु० मिल पर बाकी उस को किसी तरह दिला दीजिये। हम लिखते भी हैं पत्र, पर कोई सुनवाई नहीं होती है।

फ्री सेल और कण्ट्रोल सेल, यह क्या तमाशा है। अगर आप को कण्ट्रोल करना है तो पूरा कण्ट्रोल कीजिये। फ्री रखना है तो पूरा फ्री रखिये। यह आधा घर कटा और आधा घर पिटा नहीं चलेगा। सरकार की हाचापाच नीति किसान को मार देगी।

— उत्तर प्रदेश और बिहार की सरहद पर जो चीनी मिलें हैं मालूम होता है कि चीन और भारत की लड़ाई हो रही है। बिहार की पुलिस लगी है, एक तरफ पेरवा में लगी है और दूसरी तरफ़ उत्तर प्रदेश की पुलिस लगी है। हम नहीं जाने देंगे हम नहीं जाने देंगे। पत्र भी लिखे गये इसके बारे में। राज्य सरकार ने भी लिखा। लेकिन सेंटर के पास इतनी हिम्मत नहीं कि दोनों केन कमिश्नर्स को बुला करके, दोनों मुख्य मन्त्रियों को बुला करके उस एरिया के बारे में निर्णय कर दे। डा० सम्पूर्णा-

नन्द जी और श्री कृष्ण सिन्हा जी, दोनों मुख्य मन्त्रियों के बीच में जो समझौता हुआ था उसके अनुसार बिहार के बेरवा एरिया के 208 गांव उत्तर प्रदेश की प्रताप चीनी मिल को दिए गए थे जो कि सत्तर साल से उत्तर प्रदेश के साथ सम्बन्धित थे । इस साल बिहार सरकार ने उन गांवों को छीन करके बिहार की चीनी मिलों को दे दिया है । इस के जी ने कांग्रेस नेताओं और कुछ दूसरे लोगों को पकड़ा और बिहार सरकार पर दबाव डलवाया कि उन गांवों को छोड़ करके हमे दे दिया जाए और इस चीज को लेकर आज वहां लोगों में भयानक संघर्ष मचा हुआ है । मालूम होता है कि केन्द्रीय सरकार ऊख के बारे मे, चीनी के बारे में कुछ सोचने के लिए तैयार नहीं है, मालूम होता है कि उसके सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो गई है या उसने उसे एक दम दरकिनार कर दिया है । ऊख की खेती एक महत्व की खेती है । ऊख की खेती देश मे बढ़े, किसान को समय पर उसका पैसा मिले इसकी आपको व्यवस्था करनी चाहिये । जो पैसा उनका रुका पड़ा है उसको दिलाने की व्यवस्था होनी चाहिये और शीघ्र से शीघ्र दिलवाया जाना चाहिये । जो मिल मालिक नहीं करते हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें, उनको सजा दे । वे शीरा बेचते है, चीनी महंगी करके बेचते हैं और मालामाल हो रहे हैं । ऊख बोने वाला आज उजड़ गया है, हाहाकार उनमें मची हुई है । यदि देश तथा किसानों के प्रति आप अपने कर्त्तव्य का निर्वाह करना चाहते है तो केन प्राइस का आप पेमेंट करायें और एक अच्छी नीति चाहे जिस तरह की भी वह हो इस उद्योग के बारे में अपनायें । नीति ऐसी होनी चाहिये जिससे ऊख की, चीनी की पैदावार बढ़े, लोगों को सहूलियत से मिले, ज्यादा चीनी का निर्यात हो । ऐसी नीति आप स्थिर करें, केवल यही मेरी आपसे प्रार्थना और अनुरोध है ।

श्री गेंदा सिंह (पडरौना) : सभापति महोदय—

एक माननीय सदस्य : बैठ कर बोलिए ।

श्री गेंदा सिंह : दरख्वास्त जब की जाती है तो खड़े हो कर की जाती है । मैं श्री मंत्री महोदय से दरख्वास्त करना चाहता हूं, प्रधान मंत्री से करना चाहता हूं । अब समय आ गया है जब उत्तर प्रदेश और बिहार के करोड़ों किसान परिवारों को राहत दिलाई जाय इन मिल मालिकों से । मैं श्री नरसिंह नारायण पांडे जी का आभारी हूं कि वह हमारी मदद के लिए आए हैं और उन्होंने इस डिस्कशन को छेड़ा है । उन्होंने बहुत ही खूबी के साथ यह मामला आपके सामने पेश किया है । मैं जानता नहीं था कि आज यह मामला आ जाएगा और आज खत्म हो जाएगा और कल आप नही सुनेगे । मैं समझता हूं कि यह मामला ऐसा है जिस पर आप को सारे हाउस को सुनना चाहिए । कोई भी ऐसा नहीं होगा जो यह कहे कि ये मिलें सड़े हुए लोगों के हाथ मे पड़ी रहें । सारा हाउस इसके बारे में व्यथित है और कह रहा है कि इन से पिंड छुड़वाइये । गन्ने की कीमत आप क्या तय करेंगे ? खरीदने वाला और बेचने वाला ये दो पार्टियां होती है जो तय करती हैं । यही दो पार्टियां उत्तर प्रदेश में और बिहार में है । एक पार्टी तो करोड़ों भूखे नंगे किसानों की है और दूसरी पार्टी करोड़पतियों की— बदमाश मैं कह रहा था लेकिन नही कहूंगा— उसकी है और वह है जो देश को लूटने वाली है । इसी दिल्ली में यह सोचा गया कि मैं इस संसार से चला जाऊं, लेकिन मैं आपकी कृपा से मौजूद हूं ।

यू० पी० और बिहार में को-आपरेटिव मिलें आम-आम की हैं, लेकिन देश के कुछ हिस्सों में किसान इस सरकार की सहायता से

[श्री मैया सिंह]

अपनी फैक्टरिया चलाते हैं । महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक और कई अन्य प्रदेशो मे वे अपनी फैक्टरिया चला रहे है। कहा जाता है कि ये को-आपरेटिव मिले खराब हैं । मैं निवेदन करना चाहुगा कि उन मिलो का काम तो देखें। महाराष्ट्र मे दो-तीन को-आपरेटिव मिले है, उनके नाम मुझे याद नही हैं, उन्होने पिछले साल 21 रुपए क्विटल तक दिया है। यह फाइनल पेमेट नही है, बल्कि पेराई के समय यह एडवास के रूप मे दिया जाता है। आखिरी पेमेट चीनी के बिकने पर की जाती है। जिस भाव पर चीनी बिकती है, उसी के अनुसार फाइनल पेमट किया जाना है। मेरा ख्याल है कि महाराष्ट्र की किसी मिल ने 17 रुपए क्विटल से कम नही दिया है।

उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिला मे पहले रिकवरी कम आती थी जबकि पूर्वी उत्तर-प्रदेश और बिहार मे रिकवरी ज्यादा आती थी। यह फैक्टरिया बहुत पुरानी हैं 1931-32 की बनी हुई हैं। व तभी से ज्यादा रिकवरी देती रही हैं। लेकिन अब रिकवरी कम हो गई है। हमने देखा है कि रिकवरी साढे 10 परसैंट होने पर भी मिल मालिक कहते हैं कि हम गन्ने का दाम 11 रुपए क्विटल से ज्यादा नही दे सकते हैं। जहा रिकवरी 8 परसैंट हुई, वहाँ भी 11 रुपए दिए गए हैं और जहा साढे 10 परसैंट हुई वहा भी 11 रुपए दिए गये हैं।

मवाना और दौराला की चीनी मिलो ने 10½ परसेंट रिकवरी होते हुए भी केवल 11 रुपए दिये। भार्गव कमीशन के एक न्यायिक मेम्बर, श्री बंसीधर, ने यह बयान दिया कि 11 रुपये से अधिक नहीं देना चाहिए। वास्तव में भार्गव कमीशन दो हिस्सों में बट गया था। श्री भार्गव, श्री [illegible] और एक [illegible] एक तरफ थे और [illegible], जो [illegible] को-आपरेटिव फैक्टरियों के [illegible] मैम थे, श्री जी० सी० दीक्षित, जो किसानों और मजदूरों के नेता हैं, और बिहार के श्री फजलुर्रहमान दूसरी तरफ थे। श्री दीक्षित के दल ने बहुत सोच-समझ कर यह रीकमेंड किया कि प्राइवेट चीनी मिलों को ले लिया जाय। मैं समझता हू कि उन का यह सुझाव स्वागत-योग्य है और मान लेने लायक हैं।

मैं चाहता हू कि हिन्दुस्तान को एक ऐसा हिन्दुस्तान बनाया जाये, जिस मे किसानो का खून चूसने वाले और उन को बर्बाद करने वाले चीनी मिल-मालिको के हाथ से ये चीनी मिले ले ली जाये। पिछले चालीस बरस में उन्होंने किसानो और मजदूरो को लूट कर जो करोडो रुपए इकट्ठे कर लिए है, वे तो उन के पास रहेंगे। लेकिन वे कम से कम इन मिलो को तो छोड दे।

जब तक खरीदने वाले और बेचने वाले का रिश्ता ठीक नही किया जायेगा, तब तक गन्ने का दाम ठीक नही मिलेगा और यह झगडा चलता रहेगा। जहा किसानो की सहकारी समितिया चीनी मिले चला रही हैं और किसान उन को अपना गन्ना दे रहे है, वहा उन मे बहुत अच्छा रिश्ता स्थापित हो गया है।

गन्ने के दाम का प्रश्न सारे देश मे है लेकिन उस के लिए झगडा और कही नही है—अगर कही झगडा है, तो केवल यू० पी० और बिहार म। जहां सहकारी चीनी मिले है, वहा किसानो के विरुद्ध मोर्चा नही बन पाया है। प्राइवेट चीनी मिल-मालिक तो हम को मार देते। वे हम को कभी राष्ट्रीयकरण की बात न करने देते। लेकिन सहकारी चीनी मिलो ने ऐसा काम किया है कि उस की वजह से हिन्दुस्तान सिर उठा रहा है। जरा इस बात को मिनिस्टर साहब देखें कि वे कोआपरेटिव मिलें कैसा कर रही है? [illegible] की तरफ बढना चाहिए, [illegible]

दिलचस्पी बढ़े, कैसे वहां की गन्ना की उपज ज्यादा हो और कैसे वहां की ठीक खरीद बिक्री हो।

आज जितनी लूट शूगर मे है उतनी और कहां है? उस के बाइ-प्रोडक्ट्स को देख लीजिए, मौलेसिस को देख लीजिए, कैसे उस में लूट हो रही है। शीरे की बिक्री कैसे होती है, बगास की बिक्री कैसे होती है, हर चीज की बिक्री मे लूट है। लेकिन गाव का गन्ना पैदा करने वाला जो है उस का चूंकि कच्चा माल है, उस कच्चे माल की बुनियाद पर आप जो चाहे कर सकते हैं। यह 31–32 की बनी हुई फैक्ट्रियां है। इतनी पुरानी हिन्दुस्तान मे कोई फैक्ट्री है? जो विशेषज्ञ हो वह बताए कि हिन्दुस्तान मे कौन सी इन्डस्ट्री इतनी पुरानी है और कहां इतना धन उन्होने कमाया है? कोई देखता है बैलेंस शीट। आप को सुन कर आश्चर्य होगा गोखले जी ने इन की बैलेंस शीट को पकड़ा और करोड़ो रुपए उस बैलेंस शीट से उन्होने काट दिए है। यह इसलिए कि ये झूठा बैलेंस शीट तैयार करते थे। शूगर सेलिंग एजेंट्स कमीशन उस मे दिखाते थे। शूगर सेल करने के लिए एजेंट को कमीशन जो पुराने जमाने मे 30–31 मे था उस को अब तक चलाते जा रहे थे। जब मैंने पत्र लिखा तब पकड़े गए। मैं गवनमेंट का रुपया बचाने की बात कह रहा हूं। ये नार्थ इंडिया के प्राइवेट मिल मालिक तीन चार करोड़ रुपया हर साल ले जाते थे इस तरह से। अब शायद इस साल से काटा जाता है। तो हर वर्ष कितना धन जाता था? कितना बाई-प्रोडक्ट्स से आता था उस को तो छोड़ दीजिए, बैलेंस शीट झूठी बना कर इतना रुपया ले जाते थे जो अब पकड़ा गया है। इसी तरह से [illegible] के पैसे, जो [illegible] [illegible] हो [illegible] की [illegible] के पीछे पड़े हैं। [illegible] के लाखों रुपए [illegible] तरह से इन के पास हैं।

तो मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूं कि खरीदने वाले की हैसियत आप ठीक कर दीजिए। अगर खरीदने वाले को इसी तरह रखा तो हमारी हिफाजत आप नही कर सकते। अगर हमारी हिफाजत करनी है तो पुराने ढर्रे को बदलिए और मैं कहता हूं कि कौन सी ताकत आप मे नही है? जहां तक राजनीति का सवाल है महाराष्ट्र मे बताइए कौन गन्ने वालो का विरोध करता है? आन्ध्र के मेम्बर बैठे हुए है। कोआपरेटिव शूगर मिल भी चलाते है और नेता भी है। पालिटिक्स मे जितने मजबूत मेरठ मे हमारे मिनिस्टर साहब हैं उस से ज्यादा मजबूत होने वाले है लेकिन पित्ती के बनाने से मजबूत होंगे जगजीवन राम जी? पित्ती, बिरला, नेवटिया, इन लोगो का सब का नाम यहां रख कर मैं वक्त खराब नही करूंगा, इन सब को जो आप ने जिले जिले मे बैठाया है, इन को मारिए पर नान-वायलेंस मे। आपकी नान-वायलेंस की पालिसी को मैं पूरी तरह से सपोर्ट करता हूं। आप मिल मालिको से कहिए कि वे इन करोड़ो गरीब आदमियो की जान छोड़ दें। अगर यह हो जायेगा तो बहुत बड़ी बात होगी। मैं आपसे कहूं कि इमर्जेंसी की जितनी इज्जत हमने की है, हमारे किसानो ने की है उन्होंने नही की। पार साल मिनिस्टर साहब के इलाके मे साढे चौदह रुपए का दाम था। हमारे यू० पी० मे गवर्नमेंट बन गई, चीफ मिनिस्टर बने लेकिन दाम 11 से सवा 13 हुआ—यह बहुत नामुनासिब है। जगजीवन राम जी इस बात को देख रहे है और मुझे उम्मीद है जगजीवन राम जी इसको करेंगे लेकिन मालिको को बदलने का काम श्रीमती इन्दिरा गांधी करें। मुझे उम्मीद है हालांकि मेरी जिन्दगी बहुत थोड़े दिन की है, मैं और जी सकता हूं, हमारी प्रधान मंत्री इस काम को करें। मैं इनके जुल्मों को आज से नहीं 1920 से देखता आ रहा हूं। मैं कांग्रेसी सन् 1919 का हूं लेकिन 1920 से इनके जुल्मों को देख

[श्री बेचा सिंह]

रहा हूं। जेम्स फिनले मिल 1914 में बन गई थी तभी से मैं इनके जुल्मों को देख रहा हूं सारी जनता रोती थी और आज तक रो रही है। मुझे उम्मीद है श्रीमती इन्दिरा गांधी उनके आंसुओं को पोंछ सकती हैं और वे उनके आंसू पोंछेंगी।

SHRI S. P. BHATTACHARYYA (*Uluberia*): The pathetic condition of the grower has been described by the MPs representing those areas. It has already been said that sugarcane is sold in Punjab, UP and other areas at Rs. 15.50 or even Rs. 16 per quintal. But the Agricultural Prices Commission has fixed the price differently. It has increased the price by one rupee over last year's making it Rs. 9.50 per quintal.

SHRI SHAHNAWAZ KHAN: That is the minimum.

SHRI S. P. BHATTACHARYYA That is the minimum price.

I will tell you one thing. Ten quintals of sugarcane are needed to produce one quintal of sugar. If the minimum price is taken at Rs 10 per quintal, from Rs. 100 worth of sugarcane one quintal of sugar can be produced. Then add the cost of manufacture, machinery, workers, transport etc. How much will it come to? The maximum will be Rs. 200, not more. The cost of sugar will then be Rs 2 maximum.

Sugar is a commodity which is consumed in the country and it is also exportable. It is the task of this government to see that it is produced at low cost for consumers here and also for the export market. The basic thing needed is to minimise the cost of production by the adoption of improved, scientific methods. Till now the cost of production has never been taken into account. The price commission decides the price arbitrarily and never considers the price to be paid to the present in terms of his production cost such as his labour, expenses incurred on watering, manure, the labour of his family members. All these things should be taken into account and the peasant should be paid a remunerative price so that he may be able to maintain himself and his family. If Government does not do that, it fails in its basic responsibility.

The next thing is that sugar should be sold at a proper price. There is no justification to compel our people to buy sugar in the outside market at Rs 4 a kilo. Our workers and employees should not be compelled to pay a high price for sugar which they need for their daily needs. The Government at least for its own prestige sake should come with a solution for this. Cuba is the biggest producer of sugar; it is largest national product of Cuba and they gain from the world market When America boycotted Cuban sugar, Cuba began selling sugar to Soviet Russia and is meeting its national expenditure. What about our country? We have allowed millowners to loot not only the peasantry but also our people. Neither the government officers nor the price commission could do anything beyond the grip of the millowners. That is the tragedy in our country. In West Bengal, jute mill owners are getting richer and the jute growers remain poor. The world market for jute is in a crisis Sugar is not in such a crisis in the world. Government has power and if it is willing it can save the peasantry; I demand that remunerative price must be paid to the peasant immediately. You are coming with so many ordinances, why is there no ordinance on this matter? Let the cost of production be decided by the government immediately. The first thing is to give that price to the peasantry Taking that into account you must fix the consumers' price also.

The Government is committed to nationalise the industry; if you nationalise it you can develop the industry. What is the difficulty? Our Minister should tell us. Two years ago we discussed the price but nothing happened; similarly we may discuss and the Minister will reply and nothing will happen there is no value in this type of thing. You must do something and save the growers so that they can maintain their family. The agricultural workers in the villages may also be saved thus. Let the mill workers be enabled to maintain their families and let this reckless looting be stopped for ever. With these words, I conclude by remarks.

SHRI K. SURYANARAYANA (Eluru): Mr. Chairman, Sir, the general opinion is that the sugarcane growers are not paid properly. Whenever we raise this point, they bring out some calculations. Small farmers do not know these calculations. Even though, the Agricultural Prices Commission has recommended a minimum price of Rs. 9.50 per quintal linked to a basic recovery of 8 5 per cent, the Government has fixed Rs. 8.50 as supporting price. They say that the Supreme Court has given this formula. Calculations are confusing to industry as well as to public. The poor agriculturists do not know even A, B, C, D of these calculations; they simply want a remunerative price.

The Agricultural Prices Commission is a one-men show. He has agreed that agriculturists must have Rs. 1000 as net income for an acre of sugarcane crop. We have no objection to that. Let them take the responsibility. Whatever we grow, we are ready to give on that basis.

Our cane production in 1950 was 5.70 million tonnes, in 1960-61—11.40 million tonnes, in 1968-69—12.33 million tonnes and in 1973-74, it was 14.06 million tonnes. How it was developed? This is the only industry which can help small and marginal farmers who are 90 per cent of the cane-growers in the village. These poor people have no idea as to how much they are entitles to get. So, the Government has to come to their rescue.

They have created sugar levy fund in the name of consumers but they have not created cane-growing fund. We have no quarrel with them. The Government wanted to give some benefits to small farmers associations and small farmers development corporations but it is only an object and is not in operation.

In my State, one factory was started with Rs. 30 lakh capital and with second-hand machinery. They borrowed Rs. 80 lakhs from the growers but they did not give any share to them. They have earned a lot and now their capital is Rs. 3 crores. How have they developed? Now, this is not your money; this is people's money. They are getting loans upto 80 or 90 per cent. This is the only industry where there is no necessity of giving any compensation or anything. When you are not giving a proper compensation to small farmers with 10 or 15 acres because they are growing one or two crops, why should you give compensation to the sugar people? Nobody could say like that That is why we have now come forward We have the Emergency. We have to decide this vital issue now. It is vital because we are getting Rs. 450 crores by sugar exports alone. This is the only agricultural industry now which is earning foreign exchange. In 1950 we were importing sugar; we are now exporting. But the farmer is crying; why? Because he has got only lip sympathy, slogans and formulae with so many points. Let us all think alike—small farmers or other farmers; we are all one. Mr. Chairman, Sir, please give me at least 5 minutes.

MR. CHAIRMAN: No, no Mr. Suryanarayana, the Minister will reply at 6 O'clock I will accommodate 2 or 3 more speakers. Please conclude

SHRI K. SURYANARAYANA: I will request the Minister We can sit even till 7 O'clock It is a vital issue

श्री बेंदा सिंह मैं रघुरामैया जी से प्रार्थना करता हू कि वह चलने दें। सब लोगो को सुन ले। सूर्य नारायण जी ऐसी बात कह रहे हैं जिस को बहुत ध्यान से सुना जाना चाहिये। मेरी प्रार्थना है कि कल भी इस बहस को आप जारी रखें।

सभापति महोदय यह हाउस के हाथ में है। हाउस ने डिसाइड किया है कि छ बजे मिनिस्टर को रिप्लाई करना है।

श्री शिवनाथ सिंह हाउस ने नही किया है। इसके लिए वक्त बहुत कम दिया गया है। सब साइड्स आपके सामने आ जाने चाहियें। हाउस ने डिसाइड नही किया है। अधिक से अधिक सदस्यो को बोलने का मौका दिया जाता है तो कोई नुकसान नहीं होगा।

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K RAGHU RAMAIAH): I am not trying to stifle anybody I entirely agree that it is a vital issue Kindly bear in mind that the time allotted is 3 hours It will be over by 6 30 p.m So long as it is agreed that we can go on till the Minister is on his legs and that nobody will speak tomorrow except the Minister I am ready to agree.

(Interruptions)

SHRI M. SURYANARAYANA: This is not only Andhra's problem. It is an all-India one. This crop is a seasonal one. Unless we crush within 24 hours, the farmer or miller cannot do anything Yesterday, in a casual manner, I met the Prime Minister She told that we will consider the suggestions if they do not lead to an increase in the price of sugar for the consumer We have no objection to it We are in favour of the consumer, Let us make calculations that way On the same basis we will accept either Rs 26 or 30 for a tonne of sugarcane. I have recently started a cooperative sugar factory I have got it constructed it with Rs 3 crores Plant and machinery alone cost Rs 150 lakhs

As the hon Member, Shri Patel, has stated, in the Deccan area the sugar factories have been penalised, because they have produced more Efficiency is being penalised Instead of encouraging efficiency, you are penalising efficiency Please reconcile your policy on a rational basis We do not want to quarrel because they are getting more Let them get even Rs 500 for a tonne of levy sugar, we have no objection If you want to equalise the consumer prices, why not equalise the cane price also?

If there is the problem of standing surety for sugar cooperatives, why should the farmers be made to suffer? We do not want to hear of any policy We want to hear something practical I would request the hon Minister to bear in mind that this is included in the 20-point programme It is also part of the Emergency So, they should give due consideration to this

Cooperative factories are part and parcel of the sugar industry sponsored by the Government We are cooperating with the Government

Now there are four financial agencies to assist the sugar industry and

there is no coordination between them. So, the cooperatives are not getting enough resources, unlike the private industry. If you do not encourage the cooperatives, what will happen is that the entire sugar industry will come in the private sector. If you want to prevent that, then you have to appreciate the genuine difficulties of the sugar cooperatives and try to help them. You should appoint a committee to go into the entire problem. Now that we are passing through a period of Emergency, you should try to satisfy at least the small sugarcane growers for whom we are anxious.

17.48 hrs.

MESSAGES FROM RAJYA SABHA—*Contd.*

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report the following messages received from the Secretary-General of Rajya Sabha:—

(i) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha, at its sitting held on the 4th February, 1976, agreed without any amendment to the Prevention of Publication of Objectionable Matter Bill, 1976, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 29th January, 1976."

(ii) 'In accordance with the provisions of rule 115 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha, at its sitting held on the 5th February, 1976, agreed to the following amendment made by the Lok Sabha at its sitting held on the 3rd February, 1976, in the Payment of Wages (Amendment) Bill, 1976:—

Enacting Formula

That at page 1, line 1,—

for "Twenty-sixth"

substitute "Twenty-seventh".'

(iii) 'I am directed to inform the Lok Sabha that the Urban Land (Ceiling and Regulation) Bill, 1976, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 2nd February, 1976, has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 5th February, 1976, with the following amendments:—

Clause 2

1. That at page 3, *for* lines 3 to 10, the following be *substituted*, namely:—

(g) "land appurtenant", in relation to any building, means—

(i) in an area where there are building regulations, the minimum extent of land required under such regulations to be kept as open space for the enjoyment of such building, which in no case shall exceed five hundred square metres; or

(ii) in an area where there are no building regulations, an extent of five hundred square metres contiguous to the land occupied by such building,

and includes, in the case of any building constructed before the appointed day with a dwelling unit therein, an additional extent not exceeding five hundred square metres of land, if any, contiguous to the minimum extent referred to in sub-clause (i) or the extent referred to in sub-clause (ii), as the case may be;